[2021] 3 एस. सी. आर. 470

पाटन जमाल वाली

वी.

आंध्र प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 452)

27 अप्रैल, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम आर शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एस. 376 – बलात्कार का अपराध-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी ने अपने ही घर में एक अंधी अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार किया-अपीलार्थी जो पीड़ित और उसके परिवार को जानता था-माँ और उसके बेटों ने पीड़ित को नग्न स्थिति में पाया, उसके जननांगों से खून बह रहा था

- भागने की कोशिश करते समय अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया-दोषसिद्धि

दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी यू/एस। 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और धाराएँ। 376 (1) निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा-प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास का अधिरोपण, जो समवर्ती रूप से चलना था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: प्रकृति और परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया है

प्रतिबद्ध होने से पता चलता है कि अपीलार्थी ने पीड़ित के अंधे होने का लाभ उठाया-पीड़ित और उसकी माँ की गवाही स्पष्ट और सुसंगत, और भाई, पीड़ित की चाची और पड़ोसी के साक्षय से पुष्टि की-चिकित्सा साक्षय और डॉक्टर के बयान ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया गया था-अपीलार्थी को अपराध करने के निकट ही मौके पर पकड़ लिया गया था-इस प्रकार, अपराध किया गया।

यू / s.376 (1) अपीलार्थी द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया गया-नहीं

साक्षय से यह साबित हुआ कि अपराध इस आधार पर किया गया था कि वह एस के अर्थ के भीतर एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम-हालाँकि, यह तथ्य कि पीड़ित अनुसूचित जाति से थी, किसी अपराध के लिए सजा देने की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। s.376-अपीलार्थी पीड़ित परिवार के लिए जाना जाने वाला एक परिपक्व व्यक्ति था और उसने अनुसूचित जाति की महिला पर जघन्य अपराध किया। 376 (1) और आजीवन

कारावास की सजा बरकरार रखी गई-हालाँकि, अपराध के लिए दोषसिद्धि यू / धारा 3 (2) (v) और अधिरोपित दंडादेश को अलग रखा गया है-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989। 3 (2) (वी)।

470 पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

एस. 376 (1) – के तहत दंड-एस में संशोधन। 376 (1) संसद ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की

और लागू करने के संबंध में न्यायपालिका के विवेक को सीमित किया

बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए सजा-आपराधिक कानून संशोधन द्वारा

अधिनियम, 2013, न्यूनतम सात वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा, सजा में कमी के लिए बिना किसी अपवाद के प्रदान की गई-इसके बाद, आपराधिक कानून द्वारा

संशोधन अधिनियम 2018, एस में और संशोधन। 376 , जिसके द्वारा न्यूनतम सजा को बढ़ाकर अधिकतम दस वर्ष कर दिया गया।

सजा वही रहती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989: एस. 3 (2) (v) (जैसा कि यह तब था)-की व्याख्या-आयोजित: एस की व्याख्या। 3 (2) (v) इसका अर्थ यह है कि अपराध "केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था", बहस योग्य है-क़ानून "आधार पर" शब्दों का उपयोग करता है लेकिन "पहले" आधार "के संयोजन का निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं है कि अपराध केवल उसी आधार पर किया जाना चाहिए था-" केवल "अभिव्यक्ति को पढ़ना होगा

एक प्रतिबंध जोड़ें जो कानून में नहीं पाया जाता है, यह कमजोर हो जाएगा

कानून-एस के संरक्षण से इनकार करना। 3 (2) (v) इस आधार पर कि अपराध केवल एससी और एसटी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया गया था

उनकी जाति पहचान का आधार इस बात से इनकार करना है कि सामाजिक असमानताएं एक संचयी तरीके से कैसे काम करती हैं-यह उन्हें दंड से मुक्ति प्रदान करना है।

अपराधी-यह नहीं कहा जा सकता है कि नुकसान और जमीन के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है,

लेकिन यह पहचानने के लिए है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया या प्रभावित किया गया, यह कई आधारों या पहचानों की बातचीत का परिणाम था। 3 (2) (v) यह निहित होगा कि दोषसिद्धि को तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक कि जाति की पहचान घटना के आधारों में से एक है

अपराध। एस. 3 (2) (v)-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी ने एक अंधी अनुसूचित जाति की लड़की के साथ बलात्कार किया घटना 2011 में हुई -

दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि। 3 (2) (v) और s। 376 (1) आई. पी. सी. निम्नलिखित अदालतों द्वारा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों एस के महत्वपूर्ण घटक पर ध्यान देने में विफल रहे। 3 (2) (v) (जैसा कि तब था)- अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में यह दिखाने के लिए कोई अलग सबूत नहीं है कि आरोपी ने [2021] 3 एस. सी. आर. पर अपराध किया था।

चाहे वह उसकी जाति, लिंग या विकलांगता हो-इसके अलावा, साक्षय यह स्थापित नहीं करता है कि अपराध इस आधार पर किया गया था कि ऐसा व्यक्ति एससी या एसटी है-इसलिए, यू / धारा 3 (2) (v) को अलग रखा गया है।

एस. 3 (2) (v)-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 का संशोधन - का प्रभाव-आयोजितः "यू/" के आधार पर शब्द धारा 3 (2) (v) "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है" के साथ प्रतिस्थापित

या अनुसूचित जनजाति "-s। 8 जो अनुमानों से संबंधित है

अपराधों को खंड (सी) को शामिल करने के लिए भी संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित था, तो अदालत यह मान ले कि अभियुक्त पीड़ित की जाति या आदिवासी पहचान के बारे में जानता था, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए-अधिनियम के तहत वर्तमान शासन, संशोधन के बाद, एक पारस्परिक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

अधिनियम के तहत कारण आवश्यकता को प्रतिस्थापित करके यू / एस. 3 (2) (वी) ज्ञान की आवश्यकता के साथ शासन को संवेदनशील बनाता है

ऐसे साक्षय जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होने की संभावना हो।

प्रमाणः विकलांग अभियोजक की गवाही-आयोजित का अवमूल्यन विकलांग अभियोजक/गवाहों की गवाही का अवमूल्यन उनकी गवाही को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करके या बिना दर्ज किए करके किया जाता है। सही कानूनी प्रक्रिया का पालन, जिससे इसे प्रस्तुत किया जा सके

प्रभावहीन, समझदारी की कमी या उसके शरीर की स्थिति द्वारा समर्थित नहीं होने के लिए गवाही को खारिज करना-यह

विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अंतर्निहित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को कायम रखता है जो उनकी गरिमा और निषेध का अपमान है

समानता के सिद्धांत का-अक्षमता को इस रूप में समझने की धारणाएँ कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने की अक्षमता न केवल एक पाटन जमाल वैली v को दर्शाती है।

आंध्र प्रदेश राज्य

इस बात की अपर्याप्त समझ कि विकलांगता कैसे काम करती है लेकिन इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता भी हो सकती है-किसी विकलांग की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति

दुनिया के साथ एक अलग तरीके से बातचीत करता है, उनके सक्षम शरीर वाले समकक्षों की तुलना में-यदि ऐसे गवाह की गवाही न्यायिक विश्वास को प्रेरित करती है, तो यह पूर्ण कानूनी महत्व का हकदार है-तथ्यों पर, पीड़ित के अंधेपन का मतलब था कि उसका दुनिया के साथ कोई दृश्य संपर्क नहीं था-इस प्रकार, उसके आसपास के लोगों की पहचान करने का उसका प्राथमिक तरीका उनकी आवाज़ की आवाज़ से है, इसलिए पीड़ित की गवाही एक अभियोजक के समान वजन का हकदार है जो अभियुक्त को नेत्रहीन रूप से पहचानने में सक्षम होता।

सजा/सजा:

अपराध के लिए सजा की मात्रा यू / s.376 आई. पी. सी.-विचार किए जाने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण-आयोजित: प्रकृति और

अपराध की गंभीरता, यौन हमला करने के आसपास की परिस्थितियाँ, अभियोजक की स्थिति, उल्लंघन किए गए व्यक्ति के संबंध में अभियुक्त की भूमिका, और अपराधी के पुनर्वास की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए-अंतर-अनुभागीय पहचान और अंतर्निहित सामाजिक कारक जिनके भीतर अपराध किया गया था, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

बलात्कार का अपराध-एससी/एसटी से संबंधित महिला-सजा नीति-प्रासंगिक विचार-आयोजित: यह कठिन और कृत्रिम है।

एक व्यक्ति की कई अलग-अलग पहचानों को चित्रित करना जो

उन्हें सत्ता की एक वंचित स्थिति में रखने के लिए ओवरलैप करें और

सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ जैसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना, अभियुक्त या पीड़ित को सजा देने की नीति में अप्रासंगिक विचार हैं। हालाँकि, इस संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें

खोज की गई थी-विभिन्न प्रतिच्छेदन पहचानों का समग्र दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए जो तथ्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और

अधिनियम की परिस्थितियाँ और अपराध की प्रकृति से बात करें।

महिलाओं के खिलाफ अपराध:

अंत:विभाजन-हिंसा की अंत:विभाजन प्रकृति-आयोजित विश्लेषण: अंत:विच्छेदन को एक "उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विभिन्न अत्याचारों के संयोजन से उत्पन्न होता है, जो एक साथ, किसी भी एक रूप से कुछ अद्वितीय और अलग उत्पन्न करते हैं।

भेदभाव अकेले खड़ा है-जब एक महिला की पहचान [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जाति, वर्ग, धर्म, अक्षमता और यौन अभिविन्यास के साथ, उसे दो या दो से अधिक आधारों के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है-एक अंधे अनुसूचित जाति की महिला के लिए अधीनता का एक विशिष्ट अनुभव उत्पन्न करने के लिए उत्पीड़न के कई स्रोत कैसे संचयी रूप से काम करते हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए अंत:विभाजन लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए-अंत:विभाजन के विश्लेषण का मतलब यह नहीं है कि जाति, धर्म, वर्ग, विकलांगता और यौन अभिविन्यास को महिलाओं के उत्पीड़न के लिए केवल "जोड़" के रूप में देखा जाता है-अंत:विभाजन विश्लेषण के लिए वास्तविकता की व्याख्या की आवश्यकता होती है जो सामाजिक असमानताओं के अनुभव के साथ अधिक सटीक रूप से मेल खाती है-भारत में, संविधान के तहत मौलिक गारंटी व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के इस तरह के समग्र विश्लेषण के लिए प्रदान करती है -

लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए अंत:विभाजन भी एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है-कई पहचानों के आधार पर की गई हिंसा पर विचार करने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्दे पर हिंसा का गलत चित्रण होता है जो राहत प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है दूसरी ओर, हिंसा की अंत:विभाजन प्रकृति का एक व्यापक मूल्यांकन एक उपयुक्त कानूनी स्थिति में बदल सकता है।

प्रतिक्रिया-न्यायालय को इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

अक्षमता और लिंग-सामाजिक उत्पीड़न विकलांग महिलाएं यौन हिंसा के अंत में होने के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं-उन्हें अक्सर यौन हिंसा के लिए "नरम लक्ष्य" और "आसान पीड़ितों" के रूप में माना जाता है-विकलांग महिलाओं और लड़कियों की अनूठी भेद्यता है-इस मुख्य तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए-अदालत को हिंसा और दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए जिसे उन्हें प्रस्तुत किया गया था

उसकी अक्षमता के कारण अतिसंवेदनशील। विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध यौन हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करना और उपयुक्त निवारण प्राप्त करना -

न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति द्वारा दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का सुझाव-आपराधिक प्रणाली को और अधिक अक्षम बनाने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश जारी करना-अनुकूल

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. अपीलार्थी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत अपराध करना उचित संदेह से परे साबित हुआ है।

पीडब्लू1, पीडब्लू2-पीड़ित की माँ और पीडब्लू2, जिसका यौन उत्पीड़न किया गया था, की गवाही स्पष्ट और सुसंगत है।

मौखिक पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

यह स्थापित करता है कि पीडब्लू2 का यौन उत्पीड़न किया गया था। अपीलार्थी को अपराध करने के निकट मौके पर गिरफ्तार किया गया था। अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना और आजीवन कारावास बरकरार रखा जाता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाए गए और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए 1,000/- रुपये के जुर्माने और छह महीने के डिफ़ॉल्ट कारावास की भी पुष्टि की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अपराध के संबंध में लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 11,73] [492-ई-जी; 523-सी-डी]

2.1 ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक की गवाही

कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थता न केवल इस बात की अपर्याप्त समझ को दर्शाती है कि विकलांगता कैसे काम करती है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण गवाही के अवमूल्यन के माध्यम से न्याय की विफलता भी हो सकती है। कानूनी विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व को उनकी कथित "हीनता" की सामाजिक रूढ़ियों पर आधारित नहीं किया जा सकता है, जो उनकी गरिमा का अपमान और समानता के सिद्धांत की अवहेलना है। विकलांग गवाहों की गवाही का अवमूल्यन नहीं किया जाता है

अभियोजक की गवाही को बिल्कुल भी दर्ज करना; या सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे दर्ज करना, जिससे

यह अप्रभावी है; समझदारी की कमी या उसके शरीर की स्थिति द्वारा समर्थित नहीं होने के लिए गवाही को खारिज करना। [पैरा 43,44] [506-ई-एफ, जी-एच; 507-ए-सी] 2.2 इस तरह का न्यायिक रवैया विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अंतर्निहित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से उत्पन्न होता है और इसे कायम रखता है। विकलांग अभियोजक या उस मामले के लिए अक्षम गवाह की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ अपने सक्षम शरीर वाले समकक्षों की तुलना में अलग तरीके से बातचीत करता है। जब तक ऐसे गवाह की गवाही अन्यथा [2021] 3 एस. सी. आर.

न्यायिक विश्वास को प्रेरित करने के मानदंडों को पूरा करता है, यह पूर्ण कानूनी महत्व का हकदार है। यह बिना कहे चला जाता है कि इस तरह की गवाही की सराहना करने वाली अदालत को इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गवाह की अक्षमता गवाही का परिणाम हो सकती है। एक सक्षम शारीरिक गवाह के सापेक्ष एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाथ में मामले में, पीडब्लू2 के अंधेपन का मतलब था कि उसका दुनिया के साथ कोई दृश्य संपर्क नहीं था। इसलिए, अपने आस-पास के लोगों की पहचान करने का उनका प्राथमिक तरीका उनकी आवाज़ की आवाज़ है। और इसलिए पीडब्लू2 की गवाही एक अभियोजक के बराबर वजन का हकदार है जो अपीलार्थी की नेत्रहीन पहचान करने में सक्षम होता। [पैरा 45] [507-सी-ई]

मांगे वी. हरियाणा राज्य (1979) 4 एससीसी 349 -

संदर्भित किया गया।

मंडल, बलात्कार मुकदमों में विकलांग महिलाओं की गवाही,

एन. 23 , पी। 6. - संदर्भित किया गया है

3. सामाजिक और आर्थिक संदर्भ जिसमें यौन हिंसा

एससी और एसटी समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रासंगिक कानूनी विश्लेषण को न्यायालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो साक्षय की प्रकृति के प्रति संवेदनशील है जिसके होने की संभावना है। एक ऐसे मामले में उत्पादित किया जाता है जहां विभिन्न सीमांत एक दूसरे को काटते हैं। पीडब्लू2 के लिए एक अलग व्यक्तिगत अनुभव उसके लिंग, जाति और विकलांगता के कारण बनाया गया है क्योंकि वह व्यापक रूप से उससे जुड़ी हुई है।

ऐसे समूह जो सामाजिक नुकसान का सामना करते हैं। [पैरा 48] [510-बी-सी]

श्रेया

एट्रे,

इंटरसेक्शनल

डिस्क्रिमिनेशन, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस) 2019, पी. 69. ; कॉम्बाही रिवर कलेक्टिव,

कॉम्बाही नदी सामूहिक वक्तव्य, घर में लड़कियाँ: एक काली महिला एंथोलेजी,

बारबरा स्मिथ एड। , (न्यूयॉर्कः किचन टेबल/महिलाएँ कलर प्रेस, 1983; पुनर्मुद्रण, न्यू ब्रंसविक, एन. जे. :

रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस 2000) 267. ए. डे '। अन्य '

'अन्य' के भीतरः एक अंतःविच्छेदन विश्लेषण

भारत में लैंगिक हिंसा, लैंगिक मुद्दे 36,357-373

(2019) . ; वी. गीता, असंभवता को दूर करनाः भाषण

यौन हिंसा के बाद (जुबान, 2016),

अध्याय 11। - संदर्भित किया गया।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

4.1 इस न्यायालय ने एस की व्याख्या की है। 3 (2) (v) इसका अर्थ यह है कि अपराध केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए था कि

पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था, जिसकी शुद्धता पर बहस की जा सकती है। वैधानिक प्रावधान "केवल जमीन पर" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है। "केवल" अभिव्यक्ति को पढ़ना एक प्रतिबंध जोड़ना होगा जो क़ानून में नहीं पाया जाता है। कानून में निस्संदेह 'जमीन पर' शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन 'जमीन से पहले' के संयोजन का हमेशा यह मतलब नहीं है कि अपराध केवल उसी आधार पर किया जाना चाहिए था। इस तरह से प्रावधान को पढ़ने से एक वैधानिक प्रावधान कमजोर हो जाएगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी गरिमा के लिए खतरा पैदा करने वाले हिंसा के कृत्यों से बचाने के लिए है। एक प्रतिच्छेदन लेंस उत्पीड़न को कई हाशिए की पहचानों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के योग के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। एस के संरक्षण से इनकार करना। 3 (2) (v) इस आधार पर कि अपराध केवल एससी और एसटी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया गया था उनकी जाति पहचान के आधार पर इस बात से इनकार करना है कि सामाजिक असमानताएं संचयी तरीके से कैसे काम करती हैं। यह सबसे हाशिए पर पड़े अदृश्य लोगों के अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए है। यह उन अपराधियों को दंड से मुक्ति देने के लिए है जो अपने विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक अधिकार के कारण हैं।

सामाजिक रूप से अत्याचार करने का अधिकार महसूस करें और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय। इसका मतलब यह नहीं है कि नुकसान के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पीड़ित और जमीन, लेकिन यह पहचानने के लिए है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया या प्रभावित किया गया, यह कई आधारों या पहचानों की बातचीत का परिणाम था। एस का एक सच्चा पठन। 3 (2) (v) यह निहित होगा कि इस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि तब तक बनी रह सकती है जब तक कि जाति

पहचान अपराध की घटना के आधारों में से एक है। [पैरा 55] [513-बी-जी] 4.2 साक्षय पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने इन तथ्यों को साबित करने के लिए सबूत नहीं दिए हैं।

धारा 3 (2) (v)। दुर्भाग्य से, उस गिनती पर साक्षय में एक गंभीर अंतर रहा है। सत्र न्यायाधीश ने गौर किया कि पीडब्लू11 का निक्षेपण। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने नोट किया कि प्रदर्शनी पी-1 ने खुलासा किया कि पीडब्लू 2 एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीडब्लू1, जो पीडब्लू2 की मां है, एक "अनपढ़ गाँव की देहाती महिला" है और केवल इसलिए कि उसने पुलिस को रिपोर्ट या बयान में उल्लेख नहीं किया है कि आरोपी ने इस आधार पर अपराध किया है कि पीडब्लू2 [2021] 3 एस. सी. आर.

अनुसूचित जाति से संबंधित एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है। सत्र न्यायाधीश ने फैसले में यह भी टिप्पणी की है कि अगर पीडब्लू 2 एक उच्च जाति समुदाय से संबंधित होता, विशेष रूप से गाँव के वातावरण में, तो आरोपी ने अपराध करने की हिम्मत नहीं की होती। अपील में, निवेदन है कि धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध की सामग्री स्थापित नहीं की गई थी, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। निवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि "अन्यथा भी आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत अपराध बनता है"। सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ही विफल रहे हैं

धारा 3 (2) (v) के महत्वपूर्ण घटक पर ध्यान दें (जैसा कि यह 2016 के अधिनियम 1 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले भौतिक समय पर था)। [पैरा 56,57] [514-ए-बी, डी-जी]

4.3 यह मुद्दा कि क्या अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर किया गया था कि ऐसा व्यक्ति

पीडब्लू 2 के सामने, यह स्थापित करना मुश्किल हो जाता है कि अपराध किस कारण से हुआ-चाहे वह उसकी जाति, लिंग या विकलांगता हो। यह एक प्रावधान की सीमा को उजागर करता है जहाँ एक गलत कार्य का कारण एक ही आधार से उत्पन्न होता है या जिसे एकल अक्ष मॉडल के रूप में जाना जाता है। [पैरा 58] [515-ए-डी] पाटन जमाल वाली बनाम।

आंध्र प्रदेश राज्य

4.4 धारा 3 (2) (v) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था।

अधिनियम, 2015, जो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। धारा 3 (2) (v) के तहत "के आधार पर" शब्दों को "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। इसने यह साबित करने की सीमा को कम कर दिया है कि एक अपराध जाति की पहचान के आधार पर किया गया था, जहां केवल ज्ञान ही एक सीमा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

दृढ़ विश्वास। धारा 8, जो अपराधों के बारे में अनुमानों से संबंधित है, में खंड (सी) को शामिल करने के लिए भी संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित था, तो अदालत यह मान ले कि अभियुक्त जाति या जनजाति से परिचित था।

पीड़ित की पहचान जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। [पैरा 59] [515-ई जी; 516-ए]

4.5 संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों ने देखा है कि, "बरी होने की उच्च दर निरंतर अपराध के लिए प्रमुख और शक्तिशाली समुदायों के विश्वास को प्रेरित करती है और बढ़ावा देती है" और एससी और एसटी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश करती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा के मामले दर्ज करना। हालाँकि, एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दरारें पड़ने का एक तरीका साक्षय के बोझ के कारण है जो परस्पर उत्पीड़न के मामलों में पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जब अदालतें धारा 3 (2) (v) के तहत "केवल आधार पर" की आवश्यकता को "केवल आधार पर" के रूप में पढ़ती हैं। एस. सी. और एस. टी. अधिनियम के तहत वर्तमान व्यवस्था ने, संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत कार्यकारण आवश्यकता को एक ज्ञान आवश्यकता के साथ बदलकर अधिनियम के तहत एक प्रतिच्छेदन विश्लेषण के संचालन की सुविधा प्रदान की है, जिससे शासन इस प्रकार के प्रति संवेदनशील हो गया है।

ऐसे साक्षय जो इस तरह के मामलों में उत्पन्न होने की संभावना है। [पैरा 60] [516-ई-जी]

4.6 चूंकि धारा 3 (2) (वी) में संशोधन किया गया था और धारा 8 का खंड (सी) 26 जनवरी से 2016 के अधिनियम 1 द्वारा जोड़ा गया था।

2016 ये संशोधन वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। तत्काल मामले में अपराध 31 मार्च 2011 को संशोधन से पहले हुआ था। इस प्रकार, तत्काल मामले में साक्षय यह स्थापित नहीं करता है कि अपराध [2021] 3 एस. सी. आर. पर किया गया था।

यह आधार कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। धारा 3 (2) (v) के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 61] [517-ए-बी]

दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम। राजस्थान राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 771 [2006] 2 एस. सी. आर. 793; रामदास और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 170; अशरफी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 1 एस. सी. सी. 742: [2017] 12 एससीआर 128; खुमान सिंह बनाम। एमपी आपराधिक अपील की स्थिति

1283 2019 का निर्णय 27 अगस्त 2019 को लिया गया-निर्दिष्ट

को।

लारिसा बेहरेनड्ट, आदिवासी महिलाएँ और श्वेत

नारीवादी आंदोलन के झूठः के लिए प्रभाव

अधिकार प्रवचन में आदिवासी महिलाएँ, 1 ऑस्ट्रेलियाई

फेमिनिस्ट लॉ जर्नल 1, (1993), पी। 35 – संदर्भित किया गया। अत्याचारों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, 15 मार्च 2021,107

यहाँ उपलब्ध हैः //राज्यसभा। ठीक है। / rsnew/में

समिति _ साइट/समिति _ फाइल/रिपोर्टफाइल/15/143 /

230_2021_3_14. पीडीएफ। - संदर्भित किया गया। 5.1 सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि

अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध का दोषी था।

एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध। [पैरा 65] [518-डी-एफ] 5.2 धारा 376 (1) के एक सादे पठन पर, जैसा कि यह 1983 के अधिनियम 43 द्वारा 25 दिसंबर 1983 से प्रभावी होने के बाद था,

यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास की सजा प्रावधान द्वारा विचार की गई सजाओं में से एक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 को देश में बलात्कार के कानूनों में व्यापक संशोधन लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, जिससे अपराधियों के लिए दोषसिद्धि से बचना मुश्किल हो गया था। उक्त

उद्देश्य के अनुसरण में, धारा 376 (1) में प्रावधान किया गया है कि पटना जमाल वली बनाम मामलों को छोड़कर।

आंध्र प्रदेश राज्य

उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले बलात्कार करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष से कम की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। हालांकि, परंतुक

यह निर्धारित किया गया कि न्यायालय निर्णय में उल्लिखित 'पर्याप्त और विशेष कारणों' के लिए एक सजा लागू कर सकता है -

सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। दूसरे शब्दों में, सात साल की न्यूनतम सजा को केवल निर्णय में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए कम अवधि तक कम किया जा सकता है। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि पर्याप्त और विशेष कारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ये विशेष और पर्याप्त कारण नियम के लिए एक अपवाद हैं और इनका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। हालाँकि धारा 376 (1) में यह भी निर्धारित किया गया है कि कारावास की अवधि "आजीवन या दस साल की अवधि के लिए हो सकती है"। [पैरा 67] [518-जी-एच; 519-ए-एफ]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम। बाला (2005) 8 एससीसी 1:

[2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 859-संदर्भित।

5.3 इसके बाद, 2013 में, निर्भया मामले के बाद, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया गया था।

धारा 376 (1) में संशोधन। संसद ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़ा रुख अपनाने और बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए न्यूनतम सात साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करके न्यायपालिका के विवेक को सीमित करने की मांग की।

सजा में कमी के लिए अपवाद। 2018 में, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 22) द्वारा धारा 376 में और संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा न्यूनतम सजा को बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम सजा वही है। [पैरा 68] [519-एफ-एच; 520-ए] 5.4 संसद द्वारा धारा 376 में संशोधनों को विस्तृत करने के बाद, कानून जैसा कि घटना के समय था

अपराध को लागू किया जाना है। जिस सजा के दायरे में न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना है, वह न्यूनतम 7 साल (या पर्याप्त और विशेष कारणों के अस्तित्व पर कम), या 10 साल या आजीवन कारावास की सजा है। उचित सजा का निर्धारण करने में, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, यौन उत्पीड़न के अपराध के आसपास की परिस्थितियों, [2021] 3 एस. सी. आर. सहित प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए।

स्थिति. [पैरा 69,70] [520-बी-ई; एफ-जी] 5.5 यह न्यायालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं (और आम तौर पर व्यक्तियों) को होने वाले नुकसान से भी अवगत है। किसी व्यक्ति की कई अलग-अलग पहचानों को चित्रित करना मुश्किल और कृत्रिम है जो उन्हें सत्ता की वंचित स्थिति में रखने और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए परिस्थितियां पैदा करने के लिए ओवरलैप करते हैं। में।

इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में कहा गया है कि "अभियुक्त या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ सजा देने की नीति में अप्रासंगिक विचार हैं"। हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि यह निष्कर्ष किस संदर्भ में निकाला गया था। इन सभी मामलों में, न्यायालय अभियुक्त के अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होने, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होने या अनपढ़ होने के कारण 'पर्याप्त और विशेष कारणों' के अस्तित्व के आधार पर उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को कम करने की याचिका पर विचार कर रहा था। इसी आधार पर न्यायालय ने बलात्कार के अपराध की जघन्य प्रकृति और आपराधिक कृत्य की गंभीरता को देखते हुए इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया। ये निर्णय इस न्यायालय को विभिन्न पारस्परिक पहचानों का समग्र दृष्टिकोण अपनाने से नहीं रोकते हैं जो अधिनियम के तथ्यों और परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपराध की प्रकृति से बात करते हैं। [पैरा 71] [521-ई-जी; 522-ए-बी] 5.6 तत्काल मामले में, सजा से संबंधित कई परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, पीडब्लू2, जो था

यौन उत्पीड़न का शिकार होने पर वह जन्म से ही अंधी थी। दूसरा, अपीलार्थी पी. डब्ल्यू. 2 के भाइयों को पता था, जिसमें पी. डब्ल्यू. 3 भी शामिल था। अपीलार्थी उस घर में जाता था जहाँ पी. डब्ल्यू. 2 रहता था।

उसके माता-पिता और भाई। दृष्टिहीन, पीडब्लू2 अपीलार्थी को उसकी उस आवाज़ से पहचानने में सक्षम था जिससे वह परिचित थी।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

तीसरा, पीडब्लू 2 के घर में प्रवेश करने से कुछ समय पहले, अपीलार्थी ने पीडब्लू 1 से पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं, जब उसे बताया गया कि

वे घर पर नहीं थे। पीडब्लू1 एक सार्वजनिक जल नल पर अपने कामों के साथ आगे बढ़ी। परिवार के सदस्यों की घर से अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, अपीलार्थी ने घर में प्रवेश किया और पीडब्लू2 का यौन उत्पीड़न किया। पीडब्लू1 ने बयान दिया है कि जब उसने पीडब्लू3, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साथ घर में प्रवेश किया तो उसने पाया कि पीडब्लू2 नग्न अवस्था में उसके जननांगों पर लगी चोटों से जमीन पर खून बह रहा था। प्रकृति और जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उनमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि अपीलार्थी ने जन्म से अंधे पीडब्लू 2 के पद का लाभ उठाया था। उसने घर में प्रवेश किया, क्योंकि वह परिवार के सदस्यों के साथ था, उनकी अनुपस्थिति में और पीडब्लू 2 के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीडब्लू2 एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपराध इस आधार पर किया गया था कि वह एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अर्थ के भीतर एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन तथ्य यह है कि पीडब्लू2

अनुसूचित जाति से संबंधित होना कोई ऐसा कारक नहीं है जो धारा 376 के तहत किसी अपराध के लिए सजा देने की प्रक्रिया से बाहर हो। यह है।

वास्तविकताएँ। अपीलार्थी 27 वर्ष का था, एक परिपक्व व्यक्ति जो कुछ वर्षों से पीडब्लू 2 के भाइयों के साथ कुली के रूप में काम कर रहा था। तत्काल अपराध की प्रकृति और गंभीरता मामला अपने आप में गंभीर है और यह पीडब्लू 2 की स्थिति से जटिल है जो एक दृष्टिबाधित महिला थी। अनुसूचित जाति की एक महिला पर जघन्य अपराध किया गया है। आजीवन कारावास की सजा को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 72] [522-सी-एच; 523-ए]

रवजी वी. राजस्थान राज्य (1996) 2 एससीसी 175: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 195; कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा (2000) 4 एससीसी 75: [2000] 2 एस. सी. आर. 761; पंजाब राज्य बनाम प्रेम सागर (2008) 7 एससीसी 550: [2008] 8 एस. सी. आर. 574; टेकन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

2014 क्रि एल. जे. 1409; कर्नाटक राज्य बनाम। कृष्णप्पा

(2000) 4 एससीसी 75: [2000] 2 एससीआर 761; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। बसोदी (2009) 12 एस. सी. सी. 318: [2009] 6 एस. सी. आर. 1166; कर्नाटक राज्य बनाम। राजू (2007) 11 एससीसी 490:

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 9 एससीआर 970; राजस्थान राज्य बनाम। विनोद कुमार (2012) 6 एस. सी. सी. 770 [2012] 6 एस. सी. आर. 1; मध्य प्रदेश राज्य बनाम संतोष कुमार (2006) 6 एससीसी 1: [2006] 3 पूरक। एससीआर 548; नवतेज जौहर बनाम। भारत संघ (2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एससीआर 379; आर. वी. एस (आर. डी.) (1997) 3 एस. सी. आर. 484; समित्री और अन्य। वी. हरियाणा राज्य, (2010)

एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 2245-संदर्भित।

न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति लीला सेठ (सेवानिवृत्त) और गोपाल सुब्रमण्यम, समिति की रिपोर्ट

भेदभाव सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और विरोधी नस्लवादी नीतियाँ, शिकागो विश्वविद्यालय कानूनी मंच, खंड। 4 1 (1989) 149 (" क्रेनशॉ, सीमांकन

जाति और लिंग का छेदन "); मैरी ईटन, समलैंगिक अपरिवर्तित है: कानूनी निवेश में कानून के प्रवचन, नस्ल और यौन पहचान के निर्माण पर अटकलें: लेस्बियंस, गे मेन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द लॉ, दीदी हर्मन और कार्ल स्टिचिन एड। (फिलाडेल्फिया: टेम्पल यूनिवर्सिटी प्रेस 1995), पी। 46 ; बेन स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन एंड सबस्टैंटिव इक्वैलिटी: एक तुलनात्मक और

सैद्धांतिक परिप्रेक्षय, द इक्वल राइट्स रिव्यू, वॉल्यूम।

16 (2016) 74 (“ स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन "); नित्या अय्यर, कैटेगोरिकल डिनायल: समानता अधिकार और सामाजिक पहचान को आकार देना, क्वीन्स लॉ जर्नल, वॉल्यूम। 19 (1993–1994) 179 179 ; ; स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर एन। 5 , पी। 84 ; गौथियर डी बोको, अंत:विच्छेदन की पूरी क्षमता का उपयोग करना मानवाधिकार कानून में सिद्धांत: विकलांग बच्चों के अंतर-शैक्षिक और मानव अधिकार कानून में शिक्षा के अधिकार से सबक (श्रेया अत्रे और पीटर डन, हार्ट पब्लिशिंग 2020); पीएच कॉलिन्स, द डिफरेंस दैट पावर मेक: अंत:विभाजन और सहभागी लोकतंत्र, 8 (1)

इन्वेस्टिगेशियन्स फेमिनिस्टास (2017), पी।

22 ; डी. पोथियर, सी. एन. जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

वास्तविक लोगों के साथ भेदभाव के आधारों को जोड़ना

अनुभव, 13 (1) कैनेडियन जर्नल ऑफ वीमेन एंड

कानून (2001), पी। 39 , 51 ; के क्रेनशॉ, मैपिंग द मार्जिनः अंतःविभाजन, पहचान की राजनीति, और

रंग की महिलाओं के खिलाफ हिंसा, 43 स्टैनफोर्ड कानून

समीक्षा 1241 (1991), 1246-1250; श्रेया अत्रे, लिफ्टिंग ऐज वी क्लाइम्बः अंतर-अनुभागीय लिंग को पहचानना

कानून में हिंसा, ओनाती सोशियो-कानूनी श्रृंखला 1512 (2015),

1519-20 ; सप्तर्षि मंडल, द बर्डन ऑफ

समझदारीः बलात्कार परीक्षणों में विकलांग महिलाओं की गवाही, इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 20 नंबर 1

(2013) : 1-29 , पी। 20 (" मंडल, बलात्कार के मुकदमों में विकलांग महिलाओं की गवाही "); ह्यूमन राइट्स वॉच", यौन हिंसा की अदृश्य पीड़ितेंः भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच ", जो यहां उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचआरडब्ल्यू। ओआरजी/रिपोर्ट/2018/04/03 अदृश्य

पीड़ित-यौन हिंसा/पहुंच-न्याय-महिलाएं-और लड़कियां-विकलांग, 3 अप्रैल 2018; एच. डब्ल्यू. आर. रिपोर्ट, एन. 24 , पी। 12 ; संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट, इसकी कारण और परिणाम, राशिदा मंजू, ए/एचआरसी/26/38/Add.1। एच. टी. पी. पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ओहचर। ओ. आर. जी./ई. एन. /

एचआरबोडी/एचआरसी/नियमित सत्र/सत्र 26 /

दस्तावेज़/ए-एचआरसी-26-38-ऐड 1 _ एन। डॉक्टर,

1 अप्रैल

2014 , पैरा 72. ; एस. महापात्रा और एम. मोहंती, "दुर्व्यवहार और गतिविधि सीमाः ओडिशा में विकलांग महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर एक अध्ययन, "एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः / / स्वाभीमान। ओ. आर. जी./यूजरफाइल/फाइल /

दुरुपयोग% 20 और% 20 एक्टिविटी20 लिमिटेशन% 20 अध्ययन। एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट, एन. में संदर्भित पी. डी. एफ., 2004। 24 , फुटनोट 19 पर; CREA, "काउंट मी इन! बांग्लादेश,

भारत और नेपाल में विकलांग, समलैंगिक और कामकाजी महिलाओं के खिलाफ हिंसा ", //डब्ल्यू. डब्ल्यू. क्रोवर्ल्ड। ओ. आर. जी./साइट/डिफ़ॉल्ट /

रिपोर्ट, एन। 24 , फुटनोट 20 पर। ; एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट, एन. 24 , पी। 8 ; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिशानिर्देश और प्रोटोकॉलः मेडिको-यौन हिंसा से बचे लोगों/पीड़ितों के लिए कानूनी देखभाल, 16 मई 2019, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पर उपलब्ध है।

HTTPS: //मुख्य। एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू. गव. इन/साइट/डिफौ

953522324.पीडीएफ, पी. 14-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

ई.

(1979) 4 एससीसी 349

ई.

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 793

संदर्भित किया गया है

एफ.

(2007) 2 एससीसी 170

एफ.

संदर्भित किया गया है

[2017] 12 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2005] 3 पूरक। एससीआर 859

आई.

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2000] 2 एससीआर 761

संदर्भित किया गया है

ई.

[2008] 8 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

एफ.

2014 क्री एलजे 1409

संदर्भित किया गया है

ई.

[2000] 2 एससीआर 761

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2009] 6 एससीआर 1166

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2007] 9 एससीआर 970

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2012] 6 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

ई.

[2006] 3 पूरक। एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

एफ.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: सी.

2021 का सं. 452।

03.08.2019 c दिनांकित निर्णय और आदेश से

अमरावती में आंध्र प्रदेश की आपराधिक अपील सं।

हरिंदर मोहन सिंह, सुश्री शबाना, अधिवक्ता। के लिए

महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, एस.

हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, प्रतिवादी के लिए श्री।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है:

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि बी इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

सी विश्लेषण

सी. 1 अंत:विच्छेदन: पहचान के विभिन्न रंग C. 2 अक्षमता और लिंग: सामाजिक दमन की जुड़वां कहानियाँ

सी. 3 'जाति' जिसे दूर करना मुश्किल है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का संरक्षण

C. 4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v) सी. 5 आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत सजा

डी निष्कर्ष और निष्कर्षों का सारांश

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. छुट्टी दे दी गई।

3. अपीलार्थी को उपरोक्त प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। समवर्ती रूप से दौड़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अपीलार्थी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। 1,000 प्रत्येक अपराध के लिए और चूक में छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

4. अपीलार्थी गाजुलापल्ली गाँव में रह रहा था और घटना से पहले दो साल तक शारीरिक कार्य में लगा हुआ था। पीडब्लू2 जो जन्म से अंधी है वह अपनी माँ (पीडब्लू1) और भाई के साथ रहती थी

1 " एससी और एसटी अधिनियम "[2021] 3 एस. सी. आर.

(पीडब्लू3)। पी. डब्ल्यू. 3 और एल. डब्ल्यू. 5 पी. डब्ल्यू. 1 के पुत्र हैं। वे उसी स्थान पर अपीलार्थी के साथ हाथ से काम करने में भी लगे हुए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी उसी गाँव में रहता था और नियमित रूप से पीडब्लू1 के घर जाता था क्योंकि वह उससे परिचित था।

बेटों।

5. 31 मार्च 2011 को सुबह लगभग 9 बजे, पीडब्लू1 पचास की दूरी पर एक सार्वजनिक नल पर अपने घर के कामों में भाग ले रही थी।

पैर और उसके बेटे आसपास आग की लकड़ी काट रहे थे। अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने अपने बेटों के बारे में पूछताछ की जब पीडब्लू1 ने जवाब दिया कि उसकी पत्नी और बेटे आग की लकड़ी काट रहे थे और उसे आग लगने का इंतजार करने के लिए कहा।

जबकि। आधे घंटे के बाद, संकट में अपनी बेटी (पीडब्लू 2) की आवाज सुनकर, वह घर पहुंची और देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। शोर मचाने पर उसके पति और बेटे घर की ओर दौड़े। अपीलार्थी ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। घर में प्रवेश करने पर, पीडब्लू1 ने देखा कि पीडब्लू2 नग्न अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था और उसके जननांगों से खून बह रहा था। पीडब्लू2 के कपड़े फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। पूछताछ करने पर, पीडब्लू2 ने कथित तौर पर कहा कि अपीलकर्ता घर आया और उसके भाइयों के बारे में पूछताछ की; उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर गिर गया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया।

6. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सुबह 10 बजे, पुलिस उप-निरीक्षक (पीडब्लू9), महानंदी पुलिस स्टेशन, जिन्हें फोन आया था

पीडब्लू1 के चचेरे भाई पीडब्लू4 घटना स्थल पर पहुंचे। उस समय तक नंद्याल ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर भी आ चुके थे और ग्रामीणों ने अपीलकर्ता को उसे सौंप दिया था। पीडब्लू1 ने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे अपराध संख्या 28/2011 के रूप में दर्ज किया गया था। पीडब्लू11 ने पीड़िता को सरकारी अस्पताल भेजा जहां जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पीडब्लू10 ने उसकी जांच की। चिकित्सकीय जाँचसँ पता चलल जे पीडब्लू2 आन्हर छल। द मेडिकल पीडब्लू2 की जांच की रिपोर्ट सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के फैसले में निकाली गई है और निम्नानुसार है:

" (1) बाएँ गाल पर 1 x 1 सेमी का संदूषण, लाल रंग का, (2) प्यूबिक बाल विकसित होते हैं, स्तन विकसित होते हैं (3) एक्सिलरी बाल विकसित होते हैं। उस पर

योनि की जांच 4-00 O 'घड़ी की स्थिति में घाव हो जाती है, जिससे रक्तस्राव होता है। 3 हाइमेनियल ओरिफिस से लिए गए स्वैब और स्लाइड

योनि नहर और गर्भाशय ग्रीवा के पास, योनि की दीवार को 10 के साथ सिलवाया गया

क्रोमिकैटगुट, बाल और नाखून की कतरनें ली गईं और उन्होंने Ex.P.6 के तहत घाव प्रमाण पत्र पर मुकदमा दायर किया और पाटन जमाल वली v के तहत अपनी अंतिम राय दी।

A.P.F.S.L से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद Ex.P.8. और उन्होंने कहा कि सबूत पुरुष जननांग अंगों के प्रवेश का संकेत देते हैं।

7. अपीलार्थी के खिलाफ धारा के तहत आरोप तय किए गए थे

376 (1) दंड संहिता और एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी)। अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने ग्यारह गवाहों, पीडब्ल्यू से पूछताछ की

1 11 के अलावा, यह प्रदर्शन पी1 से पी12 और एम. ओ. 1 से 8 पर निर्भर था। साक्षय के बंद होने पर, अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। एक निर्णय द्वारा

दिनांक 19 फरवरी 2013 को अनुसूचित जाति-जनजाति (पी. ओ. ए.) अधिनियम-सह-छठा अतिरिक्त जिला और सत्रों के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश। न्यायाधीश ने अपीलार्थी को एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) और दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। के आधार पर

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 की गवाही में कहा कि:

((i)

अपीलार्थी के पास पी. डब्ल्यू. 2 तक पहुँच थी क्योंकि वह परिचित था।

अपने भाइयों के साथ और नियमित रूप से उस घर में जाती थी जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहती थी।

पीडब्लू1 और पीडब्लू2 के साक्षय की पुष्टि पीडब्लू3 द्वारा की गई थी,

((ख)

पीडब्लू2 का भाई:

(111) पीडब्लू1 द्वारा घटना के वर्णन की विधिवत पुष्टि एक स्वतंत्र गवाह और पड़ोसी, पीडब्लू5 द्वारा की गई थी;

) 3 ((iv)

(गवाहों की मौखिक गवाही ने स्थापित किया कि

अपीलार्थी को घटना स्थल पर पकड़ लिया गया था और जब पीडब्लू1 के साथ पीडब्लू3 और पीडब्लू4 थे

घर का दरवाजा खोला, अपीलार्थी को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया और पीडब्लू2 खून से लथपथ पाया गया

जमीन पर नग्न अवस्था में पड़ी उसकी चोटों से; पी. डब्ल्यू. 2, जो जन्म से अंधे थे, ने अपीलार्थी की पहचान की थी

(v)

उसकी आवाज़ जो उसे अपीलार्थी के समय से परिचित थी नियमित रूप से घर का दौरा करना;

(vi) पीडब्लू 1,3,4,5 ने अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे पीडब्लू11 को सौंप दिया और अपीलार्थी को महानंदी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
(vii) पीडब्लू5 वह पड़ोसी है जिसका घर पीडब्लू1 के विपरीत था और वह एक स्वाभाविक गवाह था। पीडब्लू4 हालांकि पीडब्लू1 से संबंधित था, उसने भी पीडब्लू1; [2021] 3 एस. सी. आर. की गवाही की पुष्टि की थी।

(viii) पीडब्लू2 के कपड़े विधिवत जब्त कर लिए गए थे; (ix) पीडब्लू2 द्वारा घटना का वर्णन विश्वसनीय था और

पीडब्लू1 और पीडब्लू3 द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी; और मौखिक गवाही चिकित्सा साक्षय के अनुरूप थी।

(x)

और पी. डब्ल्यू. 10 का बयान, सरकार में डॉक्टर

अस्पताल जिसने उस संबंध में गवाही दी।

पीड़ित लड़की एक अनपढ़ गाँव की देहाती महिला है क्योंकि उसने रिपोर्ट में या पुलिस को दिए गए बयान में यह उल्लेख नहीं किया है कि आरोपी ने इस आधार पर अपराध किया है कि पीड़ित अनुसूचित जाति (पी. ओ. ए.) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध के लिए आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के मामले में किसी भी तरह से घातक नहीं है। 40. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर पीड़ित उच्च जाति से है

अभियुक्त की जाति की तुलना में, विशेष रूप से गाँव के माहौल में, मेरा मानना है कि उसने यह कृत्य नहीं किया होगा और सुबह लगभग 9:30 बजे उसके अपने घर पर बलात्कार का अपराध करने की हिम्मत नहीं की होगी, जब उसकी माँ सार्वजनिक नल पर घर के पास काम कर रही थी और उसका घर अंदर स्थित था।

आवासीय क्षेत्र। इस अदालत का विचार है कि चूंकि पीड़ित लड़की असहाय, अंधी और अनुसूचित जाति से है, इसलिए आरोपी ने उस पर बुरी नज़र रखी और उसके अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके खिलाफ बलात्कार का जघन्य अपराध किया। इसलिए मैं विद्वान बचाव पक्ष के वकील के तर्क से सहमत नहीं हूं और इस अदालत ने कहा कि आरोपी ने घटना के समय 19 साल की अविवाहित और जन्म से अंधी लड़की के साथ बलात्कार का कार्य किया और उसने यह कार्य इस आधार पर किया कि पाटन जमाल वाली बनाम।

आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

कि वह अनुसूचित जाति से है और इस धारणा पर कि वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध के लिए आरोपी के अपराध को स्थापित किया है।

सजा के पहलू पर, सत्र न्यायाधीश ने टिप्पणी की: " जब के संबंध में सजा की मात्रा के बारे में पूछा गया। आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत अपराध, आरोपी ने यह कहते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया कि वह एक गरीब व्यक्ति है और अपने आप को बाहर निकाल रहा है।

कूली का काम करके आजीविका चलाना।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कि यह 19 साल की एक अंधी अविवाहित लड़की के खिलाफ किया गया बलात्कार का एक जघन्य अपराध है, मैं आरोपी को कम सजा देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हूं क्योंकि यह लेने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

एक सौम्य दृश्य।

अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 6 महीने के लिए 1,000/- रुपये/- आई/डी एस. आई. का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है और उसे आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई जाती है। 1,000 / - आई/डी एस. आई. एससी/एसटी (पी. ओ. ए.) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध के लिए 6 महीने के लिए। वाक्य पूरे जीवन के लिए एक साथ चलेंगे। एम. 0 से एम. 0.8 तक को अपील समय की समाप्ति के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

8. उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2019 के अपने फैसले में सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। द हाई

अदालत ने माना है कि पीडब्लू1, पीडब्लू2 की माँ और पीडब्लू2 की गवाही सुसंगत थी और पीडब्लू2 के भाई पीडब्लू3 और पीडब्लू4 और पीडब्लू5 द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्षय और विशेष रूप से पीडब्लू10 के बयान को स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने के लिए माना गया था।

9. उच्च न्यायालय के समक्ष, यह आग्रह किया गया था कि धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध के घटकों को स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि अपराध "इस आधार पर" नहीं किया गया था कि पीडब्लू 2 अनुसूचित जाति से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया:

" अधिनियम की धारा 3 (2) (v) में प्रावधान है कि अपराध तब आकर्षित होता है जब यह किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति एक अपराध है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य या ऐसा

संपत्ति ऐसे सदस्यों की होती है। अन्यथा भी अपराध धारा 376 (1) आई. पी. सी. के तहत बनाया गया है। "[2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

10. 19 फरवरी 2021 को, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में विद्वानों की प्रस्तुतियों को स्वीकार किया।

अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" 2 याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री हरिदर मोहन सिंह ने 19 फरवरी 2013 (अनुलग्नक पी-12) के सत्र न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 39 में निहित निष्कर्षों को स्वीकार किया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि धारा 3 (2) (v) में "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम 1989, जिसकी व्याख्या इस न्यायालय के निर्णयों में की गई है, इस प्रावधान के तहत अपराध नहीं है।

स्थापित किया गया। अत: आजीवन कारावास की सजा

धारा 376 के तहत अपराध के संबंध में कारावास

भारतीय दंड संहिता 1860 कानून के अनुसार नहीं थी।

3 उपरोक्त प्रस्तुतिकरण तक सीमित सूचना जारी करें, जिसमें वापसी योग्य हो।

छह सप्ताह।

4 आंध्र राज्य के लिए स्थायी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता

प्रदेश, इसके अलावा "।

11. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निवेदन तक ही सीमित नोटिस जारी किया गया है। हालाँकि, निवेदन का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि धारा 376 (1) के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित हो गया है। पी. डब्ल्यू. 1, पी. डब्ल्यू. 2 की माँ और पी. डब्ल्यू. 2, जिसका यौन उत्पीड़न किया गया था, की गवाही स्पष्ट और सुसंगत है। मौखिक विवरण की पुष्टि पीडब्लू3, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साक्षय द्वारा की गई है। चिकित्सा साक्षय, विशेष रूप से, पीडब्लू10 के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीडब्लू2 का यौन उत्पीड़न किया गया था। अपीलार्थी को अपराध करने के निकट मौके पर गिरफ्तार किया गया था। धारा 376 के तहत अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है। यह न्यायालय अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दोषसिद्धि और सजा के प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

सी विश्लेषण

सी. 1 अंत:विच्छेदन: द डिफरेंट ह्यूज ऑफ आइडेंटिटी पाटन जमाल वली v.

आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

12. बलात्कार का अनुभव किसी भी महिला के लिए समाज में उसकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना आघात और भय पैदा करता है। लेकिन एक महिला के मामले में हमले के अनुभव अलग हैं जो एक से संबंधित है

अनुसूचित जाति समुदाय और एक विकलांग है क्योंकि हमला सत्ता के विभिन्न संबंधों के परस्पर जुड़ाव का परिणाम है। जब किसी महिला की पहचान, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता और यौन अभिविन्यास से मिलती है, तो उसे दो या दो से अधिक आधारों के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। ट्रांसवुमन को उनकी विषमलैंगिक लिंग पहचान के कारण हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, यह मूल्यांकन करने के लिए एक इंटरसेक्शनल लेंस का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है कि कैसे

एक अंधी अनुसूचित जाति की महिला के लिए अधीनता का एक विशिष्ट अनुभव उत्पन्न करने के लिए उत्पीड़न के कई स्रोत संचयी रूप से काम करते हैं।

13. भेदभाव और हिंसा को मान्यता देने के लिए एक आंदोलन

संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं द्वारा कई आधारों की परस्पर क्रिया के प्रभावों से उत्पन्न होने का बीड़ा उठाया गया था। किम्बर्ली क्रेनशॉ को प्रतिच्छेदन शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। इस विषय पर अपने मौलिक कार्य में, वह निम्नलिखित काल्पनिक की मदद से सिद्धांत का वर्णन करती है:

" भेदभाव, एक चौराहे के माध्यम से यातायात की तरह, एक दिशा में बह सकता है, और यह दूसरी दिशा में बह सकता है। यदि एक चौराहे पर कोई दुर्घटना होती है, तो यह किसी भी स्थान से यात्रा करने वाली कारों के कारण हो सकती है।

दिशाओं की संख्या और, कभी-कभी, उन सभी से। इसी तरह, अगर एक अश्वेत महिला को नुकसान पहुँचाया जाता है क्योंकि वह चौराहे पर है,

उसकी चोट लिंग भेदभाव या नस्ल के कारण हो सकती है भेदभाव "। 2

अपने लेख में, क्रेनशॉ का तर्क है कि यौन भेदभाव और नस्ल भेदभाव कानूनों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक राय जिनका उन्होंने अध्ययन किया है, वे संकीर्ण रूप से तैयार किए गए हैं और लक्षित समूह के भीतर सबसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के दावों को संबोधित करते हैं। वह कहती है:

" प्रारंभिक बिंदु के रूप में अश्वेत महिलाओं के साथ, यह अधिक स्पष्ट हो जाता है

भेदभाव की प्रमुख अवधारणाएँ हमें सोचने के लिए कैसे मजबूर करती हैं

अधीनता के बारे में एक एकल के साथ होने वाले नुकसान के रूप में

श्रेणीबद्ध अक्ष। मैं आगे यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह एकल-अक्ष ढांचा अवधारणा में अश्वेत महिलाओं को मिटा देता है,

2 के. क्रेनशॉ, नस्ल और लिंग के छेदन को सीमांकित करना: ए ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एंटी-डिस्क्रिमिनेशन डॉक्ट्रिन, फेमिनिस्ट थ्योरी, एंड एंटी-रेसिस्ट पॉलिसीज, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लीगल फोरम, वॉल्यूम। 4 (1989) 149 (" क्रेनशॉ, जाति और लिंग के अंतरखंड को सीमांकित करना ")।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा नस्ल और लिंग भेदभाव की पहचान और उपचार

जांच को अन्यथा विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों के अनुभवों तक सीमित करना।

समूह से। दूसरे शब्दों में, नस्लीय भेदभाव के मामलों में, भेदभाव को लिंग या वर्ग के संदर्भ में देखा जाता है।

विशेषाधिकार प्राप्त अश्वेत; लिंग भेदभाव के मामलों में, ध्यान केंद्रित किया जाता है

नस्ल-और वर्ग-विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर "। " " "

(जोर दिया गया)

वह आगे लैंगिक हिंसा की पारस्परिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है,

जहाँ वह कहती है कि: " [महिला कामुकता पर पुरुष शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में बलात्कार पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करना बलात्कार के उपयोग को नस्लीय आतंक के हथियार के रूप में ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है।

14. अंत:विच्छेदन को "उत्पीड़न [कि]" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

विभिन्न अत्याचारों के संयोजन से उत्पन्न होता है, जो एक साथ, किसी भी एक रूप से कुछ अद्वितीय और अलग उत्पन्न करते हैं। भेदभाव अकेले खड़ा है। " 4 जबकि प्रतिच्छेदन का मॉडल शुरू में अफ्रीकी-अमेरिकी महिलाओं के अनुभवों को उजागर करने के लिए विकसित किया गया था, एक बढ़ती मान्यता है कि एक प्रतिच्छेदन लेंस उपयोगी है।

उन व्यक्तियों के जीवित अनुभवों के विशिष्ट समूह को संबोधित करने के लिए जिन्होंने कई आधारों पर हिंसा और भेदभाव का सामना किया है। एक एकल

हिंसा और भेदभाव के लिए अक्षीय दृष्टिकोण अदृश्य हो जाता है जैसे एक व्यापक समूह के भीतर अल्पसंख्यक अनुभव करते हैं क्योंकि यह "टोटेमिक" और "सजातीय" के रूप में पहचान तैयार करता है। 5 कानून एक एकल पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि एक अद्वैतवादी पहचान कानूनी विश्लेषण में स्पष्ट स्पष्टता प्रदान करती है जहां एक व्यक्ति अंतर व्यवहार या हिंसा का दावा करता है।

यह तर्क दे सकते हैं कि "लेकिन" उस पहचान के लिए, उनके साथ एक तुलनित्र के समान व्यवहार किया गया होगा। इसलिए, उनका उपचार तर्कहीन है।

और अनुचित। हालांकि, पहचान समूहों के अनुभवों की इस तरह की अनिवार्यता एक ऐसी समस्या पैदा करती है जहां परस्पर भेदभाव या हिंसा होती है हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि असतत भेदभाव का प्रमाण या

पी पर 3 आईडी। 146 . 4 मैरी ईटन, समलैंगिक अपरिवर्तित कानूनी हस्तक्षेपों में कानून, प्रवचन, नस्ल और यौन पहचान के निर्माण पर अटकलें: लेस्बियंस, गे मेन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द लॉ, दीदी हर्मन और कार्ल स्टिचिन एड। (फिलाडेल्फिया: टेम्पल यूनिवर्सिटी प्रेस

1995) , पी। 46 .

5 बेन स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन एंड सबस्टैंटिव इक्वैलिटी: एक तुलनात्मक और सैद्धांतिक परिप्रेक्षय, द इक्वल राइट्स रिव्यू, वॉल्यूम। 16 (2016) 74 (“ स्मिथ, अंत:विच्छेदन भेदभाव ")। 6 इबिद, 83.

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

पहचान का क्रमपरिवर्तन "1 0 हम एक प्रणाली आधारित अवधारणा के पक्ष में प्रतिच्छेदन की पहचान-आधारित अवधारणा को छोड़कर इस जाल से बच सकते हैं। विशेष रूप से, जैसा कि गौथियर डी बेको का तर्क है, पहचान-श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, प्रतिच्छेदन जांच को "एक ही समय में दो या दो से अधिक पहचान-श्रेणियों से जुड़े नुकसान की सह-गठित संरचनाओं" पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतिच्छेदन द्वारा बनाए गए 'प्रभुत्व के मैट्रिक्स' 1 2 के प्रति ध्यान प्रदर्शित करके 7 इबिद, 81. 8 नित्या अय्यर, स्पष्ट अस्वीकृतियाँ: समानता अधिकार और सामाजिक पहचान को आकार देना, क्वीन्स लॉ जर्नल, वॉल्यूम। 19 (1993-1994) 179 .

9 इबिद। स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर एन। 5 , पी। 84 . 11 गौथियर डी बोको, मानवाधिकार कानून में अंत:विच्छेदन सिद्धांत की पूरी क्षमता का दोहन: विकलांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार और मानव अधिकार कानून (श्रेया अत्रे और पीटर डन, हार्ट पब्लिशिंग 2020) से सबक। 12 पीएच कॉलिन्स, द डिफरेंस दैट पावर मेकस: अंत:विभाजन और सहभागी लोकतंत्र, 8 (1) रेविस्टा डी इन्वेस्टिगेशियन्स फेमिनिस्टास (2017), पी। 22 , ध्यान दें: " दमन की प्रतिच्छेदन प्रणालियों पर अंत:विभाजन का जोर बताता है कि

प्रभुत्व के विभिन्न रूपों में से प्रत्येक का अपना पावर ग्रिड होता है, जो प्रतिच्छेदन शक्ति गतिशीलता का एक विशिष्ट "मैट्रिक्स" है। "[2021] 3 एस. सी. आर.

खेल में पैटर्न, कोर्ट अधिक प्रभावी ढंग से एक प्रतिच्छेदन विश्लेषण का संचालन कर सकता है। एक एकल अक्ष के साथ चलने वाले उत्पीड़न के विशिष्ट आयामों को चित्रित करने पर केंद्रित एक कानूनी विश्लेषण, चाहे वह जाति, विकलांगता या लिंग हो, प्रभुत्व के व्यापक मैट्रिक्स को ध्यान में रखने में विफल रहता है जो किसी व्यक्ति को हाशिए पर रखने के लिए काम करता है। इस तरह की संरचना की कार्यप्रणाली को एक दृश्य महिला द्वारा उचित रूप से बताया गया है।

निम्नलिखित शब्दों में हानि (ऐल्बिनिज़म के कारण):

" मैं कभी भी लैंगिक भेदभाव का अनुभव नहीं कर सकता।

विकलांग व्यक्ति; मैं कभी भी विकलांगता का अनुभव नहीं कर सकता।

भेदभाव के आधार के असतत डिब्बों में फिट। यहां तक कि जब भेदभाव का केवल एक ही आधार प्रासंगिक प्रतीत होता है, तो यह मुझे एक पूरे व्यक्ति के रूप में प्रभावित करता है 9913

17. अंत:विभाजन केवल हमसे "एक खुला कानूनी दृष्टिकोण रखने का आग्रह करता है जो असमानता की अंतर्निहित संरचनाओं की जांच करेगा" 1 4

18. छेदक विश्लेषण के लिए वास्तविकता की एक प्रदर्शनी की आवश्यकता होती है जो सामाजिक असमानताओं के साथ अधिक सटीक रूप से मेल खाती है। अनुभवी हैं। इस तरह का प्रासंगिक न्यायिक तर्क न्यायिक जांच के लिए अभिशाप नहीं है। आर. वी. में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में न्यायमूर्ति एल 'ह्यूरॉक्स-दुबे और न्यायमूर्ति मैकलाचलिन की टिप्पणियों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। एस (आर. डी.) 1 कि, "[जे] तथ्यात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में न्यायिक जांच जिसके भीतर मुकदमेबाजी उत्पन्न होती है, नहीं है।

असामान्य। बल्कि, एक सचेत, प्रासंगिक जांच न्यायिक निष्पक्षता की दिशा में एक स्वीकृत कदम बन गई है. विस्तार की यह प्रक्रिया न केवल निष्पक्षता के अनुरूप है; इसे इसकी आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है।

13 डी. पोथियर, वास्तविक लोगों के वास्तविक अनुभवों के साथ भेदभाव के आधार को जोड़ना, 13 (1) कैनेडियन जर्नल ऑफ वीमेन एंड द लॉ (2001), पी। 39 , 51 .

14 स्मिथ, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन, ऊपर एन। 5 , पी। 84 . 15 आइबीआइडी।

16 (1997) 3 एस. सी. आर. 484 506-507 पर।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

19. उत्पीड़न के एकल अक्ष मॉडल इस बात का परिणाम हैं कि कैसे

ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी के कानूनी संरक्षण के उद्देश्य से आंदोलनों का विकास हुआ। अधिकांश राजनीतिक मुक्ति संघर्ष जाति-विरोधी आंदोलनों, विकलांग व्यक्तियों द्वारा आंदोलनों, नारीवाद और समलैंगिक मुक्ति जैसी एकमात्र विशेषता पर केंद्रित रहे हैं। इस तरह के कई आंदोलन अंतर-समूह विविधता को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में सक्षम नहीं हुए हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि समूह के भीतर अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जरूरतों को उचित रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। जब इन मुक्ति संघर्षों को कानून में अपनाया गया था, तो कानून विभिन्न सीमाओं को संबोधित करने वाले विभिन्न कानूनों के पारस्परिक रूप से अनन्य क्षेत्रों के रूप में भी विकसित हुआ, जो विभिन्न सीमाओं की अंत:च्छेदन प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहा।

उत्पीड़न।

20. भारत में संविधान के तहत मूलभूत गारंटी

व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव का ऐसा समग्र विश्लेषण प्रदान करें। हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़), नवतेज जौहर बनाम. भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के प्रतिच्छेदन लेंस को लागू किया। ऐसा करते हुए, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि:

" 36. अनुच्छेद 15 की यह औपचारिक व्याख्या

भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक गारंटी अर्थहीन है। के लिए

यह राज्य को यह दावा करने की अनुमति देगा कि भेदभाव आधारित था

सेक्स और दूसरे आधार पर ('सेक्स प्लस') और इसलिए बाहर

अनुच्छेद 15 की परिधि। भेदभाव के तर्क में अव्यक्त,

जिन महिलाओं का उपयोग तब भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जाता है। यह अनुच्छेद 15 का संकीर्ण दृष्टिकोण प्रतिबंध को हटा देता है

इसकी आवश्यक सामग्री का भेदभाव। यह लेने में विफल रहता है

लिंग भेदभाव की अंत:च्छेदन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,

जिसे दूसरों के अलगाव में काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है

पहचान, विशेष रूप से सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक से संदर्भ। उदाहरण के लिए, एक नियम है कि छह फुट से अधिक के लोग

कि भेदभाव लिंग और ऊंचाई के आधार पर है। अनुच्छेद 15 में निषेध का ऐसा औपचारिक दृष्टिकोण,

भेदभाव के वास्तविक संचालन को अस्वीकार करता है, जो विभिन्न पहचानों और विशेषताओं को काटता है।

(जोर दिया गया)

17 (2018) 10 एससीसी 1.

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यह ध्यान में रखते हुए कि पहचानों के प्रतिच्छेदन के कारण कैसे भेदभाव होता है

कुछ समुदायों (लैंगिक/धार्मिक/अन्यथा) के खिलाफ हिंसा को बढ़ाते हुए, भारतीय आपराधिक कानून में सुधार का सुझाव देने के लिए निर्भया घटना के बाद नियुक्त न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति ने कहा कि:

" 34. हमारा मानना है कि कुछ उपाय किए गए होंगे समय के साथ लेकिन वे बहुत दूर और बहुत कम रहे हैं और

उन्होंने निश्चित रूप से पुनर्गठन और परिवर्तन का प्रयास नहीं किया है

समाज और उसके संस्थान। अगर कोई ऐसा समाज होना है जो

लिंग समानता के आधार पर, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल एक महिला लिंग के कारण पीड़ित हो, बल्कि उसके कारण पीड़ित भी न हो।

इसके अलावा जाति या धर्म का लेखा। इस प्रकार एक महिला पीड़ित हो सकती है एक दोहरा नुकसान-ए) क्योंकि वह एक महिला है, और बी) क्योंकि

वह एक जाति/जनजाति/समुदाय/धर्म से संबंधित है जो है

वंचित, वह गरीब होने पर एक खतरनाक चौराहे पर खड़ी है। 18

22. जबकि प्रतिच्छेदन ने काफी प्रगति की है

मानवाधिकार कानून और भेदभाव विरोधी कानून के क्षेत्र में, यह लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी उभरा है। 1991 में, क्रेनशॉ ने रंग की महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अध्ययन करने के लिए प्रतिच्छेदन की अवधारणा को लागू किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे नस्ल, लिंग, गरीबी, अप्रवासी स्थिति और एक भाषाई अल्पसंख्यक होने के नाते इन महिलाओं को हिंसक संबंधों में रखने के लिए बातचीत की। 19

23. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए

प्रतिच्छेदन पृष्ठभूमि, श्रेया अत्रे प्रतिच्छेदन अखंडता के मॉडल का प्रस्ताव करती हैं। वह नोट करती है:

" छेदक लैंगिक हिंसा के बारे में है: ((i) उल्लंघनों को अस्वीकार करना

एकाधिक और प्रतिच्छेदन पहचान (प्रतिच्छेदन); और (ii) यह स्वीकार करते हुए कि हिंसा को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए

द्वारा प्राप्त उल्लंघनों के अद्वितीय और साझा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए

लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, अक्षमता, आयु, यौन के प्रतिच्छेदन

अभिविन्यास आदि (अखंडता)। 9920 "

18 न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति लीला सेठ (सेवानिवृत्त) और गोपाल सुब्रमण्यम, आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट, 23 जनवरी 2013, पी। 38 (" जे. एस. वर्मा समिति रिपोर्ट ")।

19 के क्रेनशॉ, मैपिंग द मार्जिन: अंत:विभाजन, पहचान की राजनीति, और रंग की महिलाओं के खिलाफ हिंसा, 43 स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू 1241 (1991), 1246-50।

20 श्रेया अत्रे, लिफ्टिंग ऐज वी क्लाइम्ब: कानून में अंतर-अनुभागीय लैंगिक हिंसा को मान्यता देना, 5 अन्य सामाजिक-कानूनी श्रृंखला 1512 (2015), 1519-20।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

24. वह बताती है कि हिंसा पर विचार करने में विफलता हुई

कई पहचानों के आधार पर मुद्दे पर हिंसा का गलत चित्रण होता है जो राहत प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, हिंसा की पारस्परिक प्रकृति का एक व्यापक मूल्यांकन एक उचित कानूनी प्रतिक्रिया में परिवर्तित हो सकता है।

2

1

25. उपरोक्त विश्लेषण न्यायालय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

और एक व्यक्ति की विभिन्न पहचानों के गुणात्मक प्रभाव को उजागर करें।

समाज में उनके द्वारा सामना की जा रही हिंसा, भेदभाव या नुकसान हो सकता है।

C. 2 अक्षमता और लिंग: समाज की जुड़वां कहानियाँ

दमन

26. भारत में कई विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए,

हिंसा उनके जीवन की एक सर्व-परिचित घटना है, जो उनकी स्वतंत्र रूप से घूमने की संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता को संकुचित करती है और पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने की उनकी क्षमता को कम करती है। हिंसा का यह खतरा शक्तिहीनता और नियंत्रण की कमी की भावना में परिवर्तित हो सकता है, जिससे हमारे संविधान के भाग III और IV द्वारा किए गए वादों को पूरा करना विकलांग महिलाओं के लिए एक दूरस्थ संभावना बन जाती है।

27. ऐसा कहने में, हमारा मतलब रूढ़िवादिता की सदस्यता लेना नहीं है

कि विकलांग व्यक्ति कमजोर और असहाय हैं, अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने में असमर्थ हैं या उन्हें उस एजेंसी और शारीरिक स्वायत्तता से वंचित करने में असमर्थ हैं जो हम सभी के पास है और जिसका उपयोग करने के हकदार हैं। अक्षमता की ऐसी नकारात्मक धारणा जो अक्षमता में बदल जाती है, असंगत होगी। हमारे कानून में सन्निहित विकलांग जीवन की आगे की सोच की अवधारणा के साथ और धीरे-धीरे, हमारी सामाजिक चेतना में तेजी से। जैसा कि सप्तर्षि मंडल ने नोट किया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मानसिक रूप से विकलांग और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त अभियोजक की गवाही की आलोचना करते हुए, केवल अक्षमता के आधार पर, पूर्ण असहायता के बैज के साथ अभियोजक पर मुहर लगाना, कार्रवाई का एक अनुचित तरीका है। वह नोट करता है:

" अभियुक्त की दोषसिद्धि के पीछे का पूरा तर्क बदल गया

असहाय अभियोजक और उसकी असमर्थता के लिए सहानुभूति पर

शारीरिक रूप से हमलावर का विरोध करें। भले ही कोई न्यायाधीश से सहमत हो

कि सबूत के बोझ का एक भी मानक नहीं हो सकता है

विकलांग और सक्षम शरीर, बोझ का एक अलग पैमाना

21 1531 में आईडी। 22 समितियाँ और अन्य। वी. हरियाणा राज्य, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 2245।

सबूत भेद्यता की अवधारणा पर आधारित होना चाहिए, न कि पीड़ितता पर। 9923

28. इसके बजाय, हमारा उद्देश्य बढ़ती भेद्यता और दूसरों पर निर्भरता को उजागर करना है जो एक विकलांगता होने के कारण होता है जो विकलांग महिलाएँ यौन हिंसा का शिकार होने के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। जैसा कि इस मामले के तथ्य दर्दनाक रूप से स्पष्ट करते हैं, महिलाओं

विकलांग, जो सक्षम शरीर के लिए बनाई गई दुनिया में रहते हैं, उन्हें अक्सर यौन हिंसा के लिए "नरम लक्ष्य" और "आसान पीड़ित" के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि इस तरह के लिए हमारी कानूनी प्रतिक्रिया हिंसा, तत्काल मामले में और साथ ही एक प्रणालीगत स्तर पर, इस मुख्य तथ्य पर ध्यान देना चाहिए।

29. जैसा कि सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के विश्लेषण से स्पष्ट होता है, इस मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पीडब्लू2 तब से अंधा है।

जन्म। उसके व्यक्तित्व को केवल उसकी अक्षमता तक कम करना अत्यधिक सरल और कम करने वाला होगा। समान रूप से, हालांकि, न्यायालय को करना होगा हिंसा और दुर्व्यवहार के बढ़ते जोखिम के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करें, जिसके लिए वह अपनी अक्षमता के कारण अतिसंवेदनशील हो गई थी। हम इस मामले के तथ्यों का उपयोग एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में करना चाहते हैं जो इस मामले पर तेजी से ध्यान केंद्रित करती है और विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा का लक्षण है और एक विचार प्रक्रिया को गति देना चाहते हैं कि इस स्थिति के परिणामस्वरूप संरचनात्मक वास्तविकताओं को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जा सकता है। निर्णय के इस भाग में, हम पहले उन अनूठे कारणों पर प्रकाश डालेंगे जो कुछ चित्रों की मदद से इन महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार होने के लिए अधिक संवेदनशील बनाते हैं। इसके बाद, हम आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुँचने में ऐसी महिलाओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करेंगे।

आम तौर पर और विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली। हम तब कुछ उपायों की रूपरेखा तैयार करेंगे जो उनके सामने आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। हम अंत में न्यायिक दृष्टिकोण को रेखांकित करके समाप्त करेंगे जिसे उनकी गवाही का आकलन करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

विकलांग महिलाओं और लड़कियों की अनूठी भेद्यता

30. ह्यूमन राइट्स वॉच की अप्रैल 2018 की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'यौन हिंसा के अदृश्य पीड़ित' है: महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच 23 सप्तर्षि मंडल, द बर्डन ऑफ इंटेलिजिबिलिटी: बलात्कार परीक्षणों में विकलांग महिलाओं की गवाही, इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर

स्टडीज, 20 नंबर 1 (2013): 1-29 , पी। 20 (“ मंडल, बलात्कार के मुकदमे में विकलांग महिलाओं की गवाही ")।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

भारत '24 में दिव्यांगताएँ समस्या का गहन मूल्यांकन प्रदान करती हैं।

विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा। रिपोर्ट यौन हिंसा से बचे 17 लोगों की कहानियों का दस्तावेजीकरण करती है-8 लड़कियां और 9 महिलाएं-जो शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और मनोसामाजिक अक्षमताओं के साथ रहती हैं। 25

31. जैसा कि रिपोर्ट बताती है, विभिन्न विकलांग महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का उच्च जोखिम होता है:

" शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सीमित गतिशीलता के कारण हिंसक स्थितियों से बचना अधिक कठिन हो सकता है। जो बहरे हैं या सुनने में कठिन हैं, वे मदद के लिए कॉल करने या आसानी से दुर्व्यवहार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, या केवल अपने आसपास की सुनने की क्षमता की कमी के कारण हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। विकलांग महिलाएँ और लड़कियाँ, विशेष रूप से बौद्धिक या मनोसामाजिक विकलांग, यह नहीं जान सकती हैं कि गैर-सहमति यौन कृत्य एक अपराध है और सुलभ जानकारी की कमी के कारण इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नतीजतन, उन्हें अक्सर समर्थन नहीं मिलता है न्याय प्रक्रिया के हर चरण में आवश्यकता: पुलिस को दुर्व्यवहार की सूचना देना, उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना और अदालत प्रणाली को नेविगेट करना। 26

32. भारत में, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की सीमा पर कोई अलग-अलग डेटा नहीं रखा जाता है। यह एक जबरदस्त स्थिति है

समस्या को बेहतर ढंग से समझने और उपयुक्त समाधान तैयार करने में बाधा। रशिदा मंजू, संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर, नोट किया गया, डेटा की यह कमी "विकलांग महिलाओं के खिलाफ की गई हिंसा को अदृश्य बनाती है"। 27

33. एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट दो अध्ययनों की ओर इशारा करती है जो इस समस्या के पैमाने की मात्रा निर्धारित करते हैं। उड़ीसा में 2004 का एक सर्वेक्षण 12 जिलों में किया गया था। 729 उत्तरदाताओं ने पाया कि लगभग सभी महिलाओं और लड़कियों ने

24 ह्यूमन राइट्स वॉच, "यौन हिंसा के अदृश्य पीड़ित: भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच ", जो यहां उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. एचआरडब्ल्यू। ओआरजी/रिपोर्ट/2018/04/03/अदृश्य-पीड़ित-यौन-हिंसा/पहुंच-न्याय-महिला-और-लड़कियों की अक्षमता, 3 अप्रैल 2018 ("एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट")।

25 एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट, सुप्रान। 24 , पी। 12 . 26 पी पर आईडी। 4 . 27 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इसके कारणों और परिणामों पर विशेष

प्रतिवेदक की रिपोर्ट, राशिदा मंजू", ए/एचआरसी/26/38/Add.1। एच. टी. पी. पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. ओहचर। ओ. आर. जी./ई. एन./एच. आर. बी. निकाय/एच. आर. सी./नियमित सत्र/सत्र 26/दस्तावेज /

ए-एचआरसी-26-38-ऐड 1 _ एन। डॉक, 1 अप्रैल 2014, पैरा 72।

सर्वेक्षण में शामिल विकलांगों को घर पर पीटा गया और बौद्धिक विकलांग महिलाओं में से 25 प्रतिशत के साथ बलात्कार किया गया। 28 इसी तरह, 2011 के एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 314 विकलांग महिलाओं में से 21 प्रतिशत ने अपने अंतरंग साथी के अलावा किसी और से भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया था। 29 29

34. एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट कई कष्टप्रद उदाहरणों को सामने लाती है

जिन परिस्थितियों में यौन हिंसा करने वालों द्वारा उत्तरजीवी की अक्षमता का शोषण किया गया था। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट भुवनेश्वर, ओडिशा की कम दृष्टि वाली एक महिला की कहानी का वर्णन करती है, जिसने आरोप लगाया था कि जून, 2013 में उसके साथ बलात्कार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है:

" पुलिस ने मदद नहीं की. कानूनी सहायता प्राप्त की। [आवासीय आश्रय गृह] के कर्मचारियों ने उसे एक वकील खोजने में मदद की, लेकिन उन्हें जो वकील मिला वह मुफ़्त नहीं था। उनके लिए वकील के साथ बने रहना मुश्किल हो गया है। इससे मामले की प्रगति प्रभावित हुई है। 30

आपराधिक न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के साथ यौन हिंसा से बचे विकलांगों की बातचीत 35. राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली निर्भया बलात्कार की घटना के मद्देनजर, भारतीय आपराधिक कानून की एक शृंखला हुई

कानून में संशोधन, एक सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया विकलांग महिलाओं को यौन हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करने और उपयुक्त निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वातावरण। समिति ने कहा:

" 6. विकलांग व्यक्तियों को बलात्कार से बचाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया और ऐसे व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुँच के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ भी एक तत्काल आवश्यकता है। संहिता में संशोधन

आपराधिक प्रक्रिया, जो आवश्यक है, का सुझाव दिया गया है। 3 1

28 एस. महापात्रा और एम. मोहंती, "दुर्व्यवहार और गतिविधि सीमा: ओडिशा में विकलांग महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर एक अध्ययन, "एचटीटीपी पर उपलब्ध है: //स्वाभीमान। org /

उपयोगकर्ता फ़ाइल/फ़ाइल/दुरुपयोग% 20 और% 20एक्टिविटी% 20लिमिटेशन% 20 अध्ययन। पी. डी. एफ., 2004 एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट में संदर्भित है। 24 , फुटनोट पर 29 29 क्रीआ, "काउंट मी इन! बांग्लादेश, भारत और नेपाल में विकलांग, समलैंगिक और कामकाजी महिलाओं के खिलाफ हिंसा ", //डब्ल्यू. डब्ल्यू. क्रोवर्ल्ड। ओ. आर. जी./साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल /

% 20कंट% 20मे% 20इन% 21% 20रीसर्च% 20रिपोर्ट। पी. डी. एफ., 2011 एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट में संदर्भित है। 24 , फुटनोट 20 पर।

30 एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट, ऊपर एन. 24 , पी। 8 .

31 जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट, ऊपर। 18 .

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

36 समिति के सुझावों का भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन में अनुवाद किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव वे इस प्रकार थे:

((i)

जब प्रावधान में निर्दिष्ट अपराधों का शिकार

यदि कोई स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो प्राथमिकी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की मांग करने वाले व्यक्ति के आवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर, एक विशेष शिक्षक या दुभाषिया की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी। 3 2 32 ऐसी जानकारी वीडियो-ग्राफ़ भी हो सकती है। 3 3

((ख)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वही आवास भी हैं

स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग के संबंध में किया गया था। 34 इसके अलावा, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के संबंध में, इस तरह के बयान को जांच के बदले में एक बयान माना जाएगा।

परीक्षण के समय इसे दर्ज करने की आवश्यकता है।

(iii)

संशोधनों में एक रूपरेखा तैयार करने की भी मांग की गई विकलांग पीड़ितों को परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने में सक्षम बनाना। ऐसे मामलों में, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की देखरेख करेंगे कि गवाह को अभियुक्त की पहचान करने में उनके द्वारा खोजे गए साधनों का समर्थन किया जाए

आरामदायक। 35 यह प्रक्रिया वीडियो-ग्राफ़ेड होनी चाहिए। 36

37. इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शन में विकलांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया गया है

संचार में बाधाओं, देखभाल करने वालों पर उनकी निर्भरता, उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और एक उपयुक्त वातावरण की कमी है जो उन्हें अपनी शिकायतों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 37 इसके अलावा, अपरिचित और तनावपूर्ण अदालती वातावरण ऐसी महिलाओं के लिए लंबे मामलों के दौरान एक बड़ी चुनौती पेश करता है। उनके अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव

36 सी. आर. पी. सी., धारा 54ए, परंतुक 2। 37 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिशानिर्देश और प्रोटोकॉलः मेडिको-यौन हिंसा से बचे लोगों/पीड़ितों के लिए कानूनी देखभाल, 16 मई 2019, यहां उपलब्ध हैः // मुख्य। एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू. गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/953522324। पीडीएफ, पी। 14 .

कानून, साथ ही कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार, उन्हें मूक और असहाय दर्शक बनने के लिए मजबूर करता है। 38

38. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति ने अपनी समापन टिप्पणियों में कुछ चिंताओं को भी उजागर किया है

भारत पर प्रारंभिक रिपोर्ट पर। इनमें विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा की पहचान, रोकथाम और मुकाबला करने के उपायों की कमी; अंतरंग भागीदारों द्वारा की गई हिंसा सहित विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के मामलों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में अलग-अलग सांख्यिकीय आंकड़ों की कमी; हिंसा की शिकार विकलांग महिलाओं के लिए सुलभ आश्रयों की सीमित उपलब्धता; और हिंसा का सामना कर रहे विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रभावी उपचारों की कमी, जिसमें पुनर्वास और मुआवजा शामिल हैं, शामिल हैं। 39. 39. जबकि पुस्तकों पर कानून में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है कि उनके

जिन लोगों के लाभ के लिए उन्हें लाया गया था, उन्हें फल प्राप्त होते हैं। इस संबंध में, हमने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक अक्षम-अनुकूल बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश नीचे दिए हैं।

((i)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियाँ यौन शोषण से बचे लोगों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए मुकदमे और अपीलीय न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया जाता है। इस प्रशिक्षण से न्यायाधीशों को विशेष प्रावधानों से परिचित होना चाहिए,

ऐसे जीवित बचे लोगों के बारे में, जैसे कि ऊपर उल्लिखित। इसमें उपरोक्त हमारी धारणा के अनुरूप ऐसे गवाहों/जीवित बचे लोगों की गवाही के साथ जुड़े कानूनी महत्व पर मार्गदर्शन भी शामिल होना चाहिए। लोक अभियोजकों और स्थायी वकीलों को भी इस संबंध में इसी तरह का प्रशिक्षण लेना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एल. एल. बी. कार्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर सकती है जो इन विषयों और परस्पर संबंधों को शामिल करते हैं।

आम तौर पर हिंसा की प्रकृति; प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों और दुभाषियों को होना चाहिए

((ख)

प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 में सन्निहित उचित आवास। सभी पुलिस थानों को बनाए रखना चाहिए

38 एच. आर. डब्ल्यू. रिपोर्ट, ऊपर एन. 24 , पी। 7 .

39 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, "भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट पर समापन अवलोकन", GE.19-18639 (E) यहाँ उपलब्ध है: //डिजिटल पुस्तकालय। एक. ओआरजी/रिकॉर्ड/3848327? 29 अक्टूबर 2019, पैरा 34 में।

‘ ए. एन. जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

आसान पहुँच और समन्वय की सुविधा के लिए ऐसे शिक्षकों, दुभाषियों और कानूनी सहायता प्रदाताओं का एक डेटाबेस;
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को गंभीरता से काम लेना चाहिए

(iii)

लिंग आधारित हिंसा पर अलग-अलग आंकड़ों को बनाए रखने की संभावना पर विचार करें। अक्षमता उन चरों में से एक होनी चाहिए जिसके आधार पर इस तरह के डेटा को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि समस्या के पैमाने को मैप किया जा सके और

अनुकूलित उपचारात्मक कार्रवाई की जा सकती है;

(iv) पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से संवेदीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।

विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों से उचित तरीके से निपटने के लिए। प्रशिक्षण में विकलांग व्यक्ति से जुड़े मामले का पूरा जीवन चक्र शामिल होना चाहिए।

उत्तरजीवी, उन्हें शिकायत दर्ज करने, आवश्यक आवास, चिकित्सा ध्यान और उपयुक्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने से

कानूनी प्रतिनिधित्व। इस प्रशिक्षण में संबंधित विकलांग व्यक्ति के साथ उनकी देखभाल करने वाले या सहायक के विपरीत सीधे बातचीत करने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए।

उनकी एजेंसी की मान्यता; और

जागरूकता बढ़ाने के अभियान चलाए जाने चाहिए।

(v)

महिलाओं और लड़कियों को सूचित करने के लिए सुलभ प्रारूप अक्षमताएँ, उनके अधिकारों के बारे में जब वे किसी भी प्रकार के यौन शोषण के शिकार होते हैं।

40. हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि ये सुझाव एक प्रतिबिंब तरीका नहीं हैं जिसमें जांच, जांच और मुकदमा तत्काल मामले में किया गया था। वे केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म सुधारों पर हमारे सुविचारित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं कि तत्काल सुधार जैसे मामले

सबसे उपयुक्त तरीके से खिलाई करें।

विकलांग अभियोजक की गवाही: 41. इस मामले की एक और विशेषता जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे

अभियोजक, पी. डब्ल्यू. 2 की गवाही के लिए। अपने निर्णय में,

ओ. एन. एस. न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 21. पीड़ित लड़की द्वारा अभियुक्त की पहचान: - यह है। कहने की जरूरत नहीं है कि आवाज के आधार पर आरोपी की पहचान करना

कमजोर प्रकार का साक्षय। वर्तमान तथ्यों पर आते हुए और मामले की परिस्थितियों में, पी. डब्ल्यू. 2 जन्म से अंधा है

अभियुक्त से पीड़ित तक अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया कि वह आसानी से [2021] 3 एस. सी. आर.

अभियुक्त की आवाज़ सुनकर उसकी पहचान करें। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. आई., पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 और कुछ अन्य लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया जब उसने घटना की तारीख को पी. डब्ल्यू. आई. के घर का दरवाजा खोला और पुलिस अधिकारियों के साक्षय भी गवाहों के साथ पुष्टि करते हैं जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और उसे P.W.II को सौंप दिया और पी. डब्ल्यू. II के निर्देश पर आरोपी को महानंदी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पी. डब्ल्यू. 2 को यह सुझाव दिया गया था कि उसका यह बयान कि उसने आरोपी की पहचान उसकी आवाज से की थी, गलत है। पीडब्लू. आई., पीडब्लू. 3, पीडब्लू. 4 के स्पष्ट साक्षय को ध्यान में रखते हुए, 313 Cr.P.C में अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को भी ध्यान में रखते हुए। यह देखते हुए कि वह पीड़ित के भाइयों को कुली का काम करने के लिए बुलाने के लिए पीडब्लू. 1 के घर जाता था, उपरोक्त सुझाव में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। उपरोक्त साक्षय पर्याप्त रूप से साबित करेंगे कि पीड़ित ने आरोपी की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है और उसके साक्षय पर केवल इसलिए संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक अंधी लड़की है।

42. उच्च न्यायालय में, बचाव पक्ष ने यह तर्क देते हुए अभियोजक की गवाही पर संदेह करने की कोशिश की कि वह अपनी अक्षमता के कारण आरोपी की पहचान करने में असमर्थ रही होगी। यद्यपि उपरोक्त याचिका पर इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दबाव नहीं डाला गया था, हम इस अवसर पर सत्र न्यायाधीश के निष्कर्ष की पुष्टि करना चाहते हैं और इस बिंदु पर कानून की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। 43. ऐसे उदाहरण हैं जहां एक विकलांग अभियोजक की गवाही पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है और एक समान व्यवहार किया गया है।

उनके सक्षम शरीर वाले समकक्षों के रूप में पैर रखना। ऐसा ही एक उदाहरण मांगे बनाम में इस न्यायालय का निर्णय है। हरियाणा राज्य ", जहाँ एक तेरह वर्षीय मूक-बधिर लड़की की गवाही दर्ज नहीं की गई थी और एक आंख के कारण दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। गवाह और चिकित्सा साक्षय द्वारा समर्थित। इस न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियोजक की गैर-जांच एक अपराध नहीं था।

अभियोजन पक्ष के मामले में बड़ी कमजोरी "एक बाल गवाह होने के अलावा, वह बहरी और गूंगी भी थी और उसकी जाँच करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होता।" हमारा विचार है कि ऐसी प्रकृति की धारणाएं जो विकलांगता को कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने की अक्षमता के रूप में मानती हैं, न केवल इस बात की अपर्याप्त समझ को दर्शाती हैं कि विकलांगता कैसे काम करती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप भी हो सकती है विकलांग व्यक्तियों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण गवाही के अवमूल्यन के माध्यम से न्याय का गर्भपात। व्यक्तियों का कानूनी व्यक्तित्व

40 0 (1979) 4 एससीसी 349।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अक्षमताओं को उनकी कथित "हीनता" की सामाजिक रूढ़ियों पर आधारित नहीं किया जा सकता है, जो उनकी गरिमा का अपमान और समानता के सिद्धांत का निषेध है। 44. सप्तर्षि मंडल द्वारा उच्च न्यायालय के फैसलों के एक सर्वेक्षण और विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अक्षम गवाहों की गवाही का अवमूल्यन अभियोजक की गवाही को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करने या सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे दर्ज करने से किया जाता है, जिससे इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रभावहीन; समझदारी की कमी या उसके शरीर की स्थिति द्वारा समर्थित नहीं होने के लिए गवाही को खारिज करना। 41

45. इस तरह का न्यायिक रवैया उत्पन्न होता है और इसे कायम रखता है

विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अंतर्निहित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाएँ। हमारा विचार है कि एक विकलांग अभियोजक या उस मामले के लिए एक विकलांग गवाह की गवाही को कमजोर या हीन नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के साथ एक अलग स्थिति में बातचीत करता है।

उनके सक्षम शरीर वाले समकक्षों की तुलना में। जब तक ऐसे गवाह की गवाही अन्यथा न्यायिक प्रेरणा के मानदंडों को पूरा करती है

विश्वास है, यह पूर्ण कानूनी वजन का हकदार है। यह बिना कहे चला जाता है कि इस तरह की गवाही की सराहना करने वाली अदालत को इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गवाह की अक्षमता गवाही का परिणाम हो सकती है।

एक सक्षम शरीर वाले गवाह के सापेक्ष एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाथ में मामले में, पीडब्लू2 के अंधेपन का मतलब था कि उसका दुनिया के साथ कोई दृश्य संपर्क नहीं था। उसकी पहचान करने का प्राथमिक तरीका इसलिए, उसके आस-पास के लोग अपनी आवाज़ की आवाज़ से हैं। और इसलिए पीडब्लू2 की गवाही एक अभियोजक के बराबर वजन का हकदार है जो अपीलार्थी की नेत्रहीन पहचान करने में सक्षम होता।

सी. 3 'जाति' जिसे दूर करना मुश्किल है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों का संरक्षण

जनजातियाँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 42 समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का अधिनियमन। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 17 के दायरे में भी आता है, जो अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित बताता है: 41 मंडल, बलात्कार के मुकदमों में

विकलांग महिलाओं की गवाही, ऊपर। 23 , पी। 6 . 42 " एससी और एसटी "[2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति कमजोर बनी हुई है। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। वे विभिन्न अपराधों, अपमान, अपमान और अपमान के अधीन हैं। उत्पीड़न। उन्हें कई क्रूर घटनाओं में उनके जीवन और संपत्ति से वंचित किया गया है। विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके खिलाफ गंभीर अपराध किए जाते हैं।

2. शिक्षा के प्रसार के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करने के कारण,

अपनी महिलाओं के आत्म-सम्मान या सम्मान को बनाए रखने के लिए, वे प्रबल और पराक्रमी लोगों के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा करने और खेती करने पर भी नाराजगी है और 'अक्सर ये लोग निहित स्वार्थों के हमलों का शिकार हो जाते हैं, कुछ अत्याचारों की परेशान करने वाली प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है जैसे कि अनुसूचित जातियों के लोगों को मानव मल जैसे अखाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना और असहाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हमले और सामूहिक हत्याएं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार करना। जनजातियाँ। इन परिस्थितियों में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे मौजूदा कानून और भारतीय दंड संहिता के सामान्य प्रावधान इन अपराधों की जांच के लिए अपर्याप्त पाए गए हैं। इसलिए गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों को रोकने और रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाना आवश्यक हो गया है।

3. 'अत्याचार' शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। यह आवश्यक माना जाता है कि न केवल 'अत्याचार' शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए, बल्कि

इस तरह के अत्याचारों के लिए उच्च दंड का प्रावधान करने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए विशिष्ट निवारक और दंडात्मक उपाय करने का आदेश देने का भी प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

और अनुसूचित जनजातियों को पीड़ित होने से और कहाँ

पर्याप्त राहत और सहायता प्रदान करने के लिए अत्याचार किए जाते हैं।

उन्हें बहाल करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

47. जबकि अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ किए गए अत्याचार के रूप में एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, यह विशेष रूप से इन समुदायों की महिलाओं को जातिवाद, पितृसत्ता और गरीबी के कारण होने वाले विशिष्ट नुकसान को स्पष्ट नहीं करता है।

उसी समय। श्रेया अत्रेय ने कहा कि जाति-विरोधी आंदोलन 1900 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए थे और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी, लेकिन उनके उत्पीड़न की कल्पना जाति के आधार पर की गई थी, न कि जाति के आधार पर।

सामूहिक वक्तव्य, यू. एस. नस्लवाद-विरोधी नारीवाद का एक उत्कृष्ट पाठ-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ने जातिवाद के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के साथ मिलकर संघर्ष किया, जबकि उन्होंने लिंगवाद के बारे में पुरुषों के साथ भी संघर्ष किया। " अद्रिजा डे ने अपने काम में विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्ग, जाति, भूगोल और धर्म लैंगिक हिंसा को कैसे माना जाता है और कैसे माना जाता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में दंड दिए जाते हैं। 45 एससी और एसटी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा कितनी व्यापक है, यह वी. गीता ने अपनी पुस्तक 'अनडूइंग इम्प्युनिटी' के उद्धरण में दृढ़ता से कहा है:

" जहाँ तक यौन हिंसा की बात है, दलित महिला कार्यकर्ताओं ने इसे समझ लिया

दलित महिलाओं द्वारा अनुभव की गई हिंसा की निरंतरता का हिस्सा: में

एक जीवन-दुनिया जहाँ भोजन, पानी, स्वच्छ रहने की जगहें नियमित रूप से होती हैं

दलित महिलाओं से इनकार किया गया, जहां उनके श्रम का शोषण किया गया, और नहीं

उनके कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपलब्ध है, जहां उन्हें बंधन में रहना है मकान मालिक या छोटे व्यापारी के लिए यह आम बात थी, और हर समय

लड़कियाँ: ए ब्लैक फेमिनिस्ट एंथोलॉजी, बारबरा स्मिथ एड। , (न्यूयॉर्क: किचन टेबल/वीमेन ऑफ कलर प्रेस, 1983; पुनर्मुद्रण, न्यू ब्रंसविक, एन. जे. : रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस 2000) 267. मूल

उद्धरण में लिखा था, "हम नस्लवाद के खिलाफ अश्वेत पुरुषों के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, जबकि हम लिंगवाद के बारे में अश्वेत पुरुषों के साथ भी संघर्ष करते हैं।" 45 ए. डे। ' अन्य 'अन्य' के भीतरः भारत में लैंगिक हिंसा का एक अंतःविच्छेदन विश्लेषण, लिंग मुद्दे 36,357-373 (2019)।

उन्हें यौन रूप से उपलब्ध माना जाता है, और उनके शरीर में अपमानित किया जाता है

होने के नाते, यौन हिंसा एक असाधारण कार्य के रूप में नहीं उभरी

दलितों के खिलाफ दुश्मनी "46

48. उपरोक्त चर्चा सामाजिक और आर्थिक संदर्भ पर प्रकाश डालती है।

जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा होती है। इस प्रासंगिक कानूनी विश्लेषण को न्यायालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो साक्षय की प्रकृति के प्रति संवेदनशील है जो उस मामले में पेश किए जाने की संभावना है जहां विभिन्न हाशिए एक दूसरे को काटते हैं। वर्तमान मामले में, ए

पीडब्लू2 के लिए विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभव उसके लिंग, जाति और विकलांगता के कारण बनाया जाता है क्योंकि वह व्यापक समूहों के साथ जुड़ती है जो एक सामाजिक नुकसान का सामना करते हैं।

C. 4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v)

49. एस. सी. और एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (2) (v) जैसा कि वह सामग्री समय पर थी, निम्नानुसार पढ़िए:

अनुसूचित जनजाति। (v)
भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत कोई अपराध करता है।

दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय

किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति एक है

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य या ऐसा संपत्ति ऐसे सदस्य की है, जिसके लिए दंडनीय होगा -

आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ;

50. धारा 3 (2) (v) के तहत, एक बढ़ी हुई सजा

जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का प्रावधान है जहाँ

(i) अपराध एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो सदस्य नहीं है।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का;

((ii) अपराध दंड संहिता के तहत उत्पन्न होता है और एक के खिलाफ है

व्यक्ति या संपत्ति और के लिए कारावास से दंडनीय है

दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि; और

((ग) अपराध इस आधार पर किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य या

संपत्ति ऐसे व्यक्ति की होती है।

46 वी. गीता, असंभवता को दूर करना: यौन हिंसा के बाद भाषण, (जुबान, 2016), अध्याय 11।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

मुख्य शब्द हैं "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है"। "जमीन पर" अभिव्यक्ति का अर्थ है "कारण के लिए" या "के आधार पर"। उपरोक्त प्रावधान (जैसा कि यह अपने संशोधन से पहले भौतिक समय पर था, जिसे बाद में देखा जाएगा) उत्पीड़न के केवल एक अक्ष मॉडल को मान्यता देने वाले क़ानून का एक उदाहरण है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, ऐसे एकल अक्ष मॉडल के लिए एक व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि किसी सामाजिक विशेषता के कारण उत्पीड़न का अलग अनुभव हुआ। हालाँकि, जब उत्पीड़न एक प्रतिच्छेदन शैली में संचालित होता है, तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अक्सर कई आधारों के कारण उत्पीड़न का आधार कौन सा आधार था। एक साथ काम करें। ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी कानूनी विद्वान लारिसा बेहरेनड्ट ने अपने उत्पीड़न के स्रोत की पहचान करने के लिए यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं, जो विभिन्न मामलों में हाशिए पर हैं, द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को मार्मिक रूप से कहा है:

" जब एक आदिवासी महिला यौन उत्पीड़न की शिकार होती है, तो कैसे, एक अश्वेत महिला के रूप में, उसे पता चलता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक महिला के रूप में नफरत की जाती है और उसे हीन माना जाता है या अगर उससे नफरत की जाती है क्योंकि वह आदिवासी है, जिसे स्वभाव से हीन और स्वच्छंद माना जाता है? 47

51. धारा 3 (2) (v) की सीमा से अवगत होने के कारण-जैसा कि यह अंत:विभाजन के मामलों से निपटने में पहले था, हम हालांकि हैं

कानून में निर्धारित मानक को लागू करने के लिए बाध्य। दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में "जमीन पर" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया था। राजस्थान राज्य 48, जहाँ न्यायालय ने न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत के माध्यम से कहा:

" 15. धारा 3 (2) (v) को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया होना चाहिए।

कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। तत्काल मामले में कोई सबूत स्थापित करने के लिए नहीं दिया गया है

इस आवश्यकता को। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि

पीड़ित के साथ बलात्कार किया गया था क्योंकि वह एक सदस्य थी अनुसूचित जाति का "।

52. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस आशय के साक्षय के अभाव में, धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध स्थापित नहीं होगा। यह

47 लारिसा बेहरेनड्ट, आदिवासी महिलाएं और नारीवादी आंदोलन के सफेद झूठः अधिकार प्रवचन में आदिवासी महिलाओं के लिए प्रभाव, 1 ऑस्ट्रेलियाई नारीवादी कानून पत्रिका 1, (1993), पी। 35 .

48 (2006) 3 एससीसी 771।

बाद में रामदास और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस सिद्धांत का पालन किया गया। महाराष्ट्र राज्य 4 9 जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल इसलिए कि एक महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान यौन उत्पीड़न के मामले में आकर्षित नहीं होंगे। इस अदालत ने कहा कि एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 53. "के आधार पर" शब्दों की रूपरेखा इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में स्पष्ट की गई है। अशरफी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि बलात्कार केवल इस आधार पर किया गया था कि महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर भानुमति के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 9.अभिलेख पर साक्षय और सामग्री से यह नहीं पता चलता है कि अपीलार्थी ने इस आधार पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया था कि

वह अनुसूचित जाति से थीं। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) को केवल तभी सेवा में लगाया जा सकता है जब यह

यह साबित होता है कि बलात्कार इस आधार पर किया गया है कि पीडब्लू-3 फूला देवी अनुसूचित जाति समुदाय से थीं। में।

अपीलार्थी के इरादे को साबित करने वाले साक्षय का अभाव

पीडब्लू-3 पर अपराध करने में-केवल फूला देवी

क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है,

एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

54. खुमान सिंह बनाम में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय में। इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए, एम. पी. 5 1, न्यायमूर्ति आर. भानुमति ने कहा:

" जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जिससे अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध को आकर्षित किया जा सके। अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर किया गया होगा कि

ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। वर्तमान मामले में, यह तथ्य कि मृतक संबंधित था

" खंगार "-अनुसूचित जाति विवादित नहीं है। वहाँ कोई नहीं है

49 (2007) 2 एससीसी 170।

50 (2018) 1 एस. सी. सी. 742 ("अशरफी")। 51 2019 की आपराधिक अपील 1283 का निर्णय 27 अगस्त 2019 ("खुमान सिंह") को लिया गया।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

इस आधार पर कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था जाति और इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि-के तहत अभियुक्त

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 (2) (v)

(अत्याचार निवारण) अधिनियम टिकाऊ नहीं है।

(जोर दिया गया)

55. उपरोक्त दो उद्धरणों में, इस न्यायालय ने धारा की व्याख्या की है।

3 (2) (v) इसका अर्थ यह है कि अपराध केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए था कि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य था। इस प्रदर्शनी की शुद्धता। बहस योग्य है। वैधानिक प्रावधान "केवल जमीन पर" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है। "केवल" अभिव्यक्ति को पढ़ना एक प्रतिबंध जोड़ना होगा जो क़ानून में नहीं पाया जाता है। कानून में निस्संदेह 'जमीन पर' शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन 'जमीन से पहले' के संयोजन का हमेशा यह मतलब नहीं है कि अपराध केवल उसी आधार पर किया जाना चाहिए था। इस तरह से प्रावधान को पढ़ने से एक वैधानिक प्रावधान कमजोर हो जाएगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी गरिमा के लिए खतरा पैदा करने वाले हिंसा के कृत्यों से बचाने के लिए है। जैसा कि हमने जोर दिया है

निर्णय में पहले, एक प्रतिच्छेदन लेंस हमें उत्पीड़न को कई हाशिए की पहचानों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के योग के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। धारा 3 (2) (v) के संरक्षण को इस आधार पर अस्वीकार करना कि एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ अपराध केवल उनकी जाति पहचान के आधार पर नहीं किया गया था, इस बात से इनकार करना है कि सामाजिक असमानताएं संचयी रूप से कैसे काम करती हैं। यह सबसे हाशिए पर पड़े अदृश्य लोगों के अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए है। यह उन अपराधियों को दंड से मुक्ति देने के लिए है जो अपनी विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक स्थिति के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के खिलाफ अत्याचार करने के हकदार महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नुकसान और नुकसान के बीच एक कारण संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आधार, लेकिन यह पहचानना है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया या प्रभावित किया गया, यह कई आधारों या पहचानों की बातचीत का परिणाम था। धारा 3 (2) (v) के सही अध्ययन से यह पता चलता है कि इस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि तब तक कायम रखी जा सकती है जब तक कि जाति की पहचान इसके लिए एक आधार है। अपराध की घटना। जिस दृष्टिकोण से हम अंततः लेते हैं, इस मामले में एक बड़ी पीठ को इन निर्णयों का संदर्भ अनावश्यक है।

हम उस खुली और बहस को बाद की तारीख और मामले के लिए जीवित रखते हैं।

56. यदि इस मामले में साक्षय स्थापित करने के लिए पर्याप्त था

इस आधार पर अपराध करना कि पीडब्लू2 एक अनुसूचित जाति का सदस्य था, अशरफी (उपरोक्त) और [2021] 3 एस. सी. आर. में निर्णयों पर एक नया नज़र।

खुमान सिंह (ऊपर) को वारंट किया गया होगा। हालांकि, सबूतों पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने ऐसा नहीं किया है धारा 3 (2) (v) के अवयवों को साबित करने के लिए साक्षय। दुर्भाग्य से, उस गिनती पर साक्षय में एक गंभीर अंतर रहा है। वर्तमान में

पी. डब्ल्यू. 11, जो जाँच अधिकारी था, ने पदच्युत किया:

" पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 ने मेरे सामने यह नहीं कहा कि चूंकि वह संबंधित है

अनुसूचित जाति अभियुक्त ने अपराध को अंजाम दिया। भाग 1 सी. डी

यह विशेष रूप से खुलासा नहीं करता है कि आरोपी को सौंप दिया गया था

वृत्त '। पुलिस निरीक्षक। गवाह जोड़ता है जब तक वह पहुँचा अपराध स्थल के उप निरीक्षक और सर्कल निरीक्षक

पुलिस मौजूद थी और वहां मौजूद गवाहों को सौंप दिया गया।

अभियुक्तों को बदले में उसने उन्हें ले जाने का निर्देश दिया

महानंदी पुलिस स्टेशन में आरोपी। यह कहना सही नहीं है कि

अपराध स्थल पर उपस्थित "।

57. सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू11 के बयान पर गौर किया। हालांकि,

सत्र न्यायाधीश ने नोट किया कि प्रदर्शनी पी-1 ने खुलासा किया कि पीडब्लू 2 अनुसूचित जाति से संबंधित है। सत्र न्यायाधीश ने पैराग्राफ में भी टिप्पणी की

39 यह निर्णय कि पीडब्लू1, जो पीडब्लू2 की माँ है, एक "अनपढ़ गाँव की देहाती महिला" है और केवल इसलिए कि उसने पुलिस को रिपोर्ट या बयान में उल्लेख नहीं किया है कि आरोपी ने इस आधार पर अपराध किया है कि पीडब्लू2 अनुसूचित जाति से संबंधित है, एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है। सत्र न्यायाधीश ने भी पैराग्राफ में इस संबंध में टिप्पणियां की हैं।

40 उस निर्णय के बारे में जो पहले निकाला गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि पीडब्लू 2 एक उच्च जाति समुदाय से संबंधित होता, विशेष रूप से गाँव के वातावरण में, तो आरोपी ने अपराध करने की हिम्मत नहीं की होती। अपील में, यह निवेदन कि धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध के तत्व स्थापित नहीं किए गए थे, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था। निवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि "अन्यथा भी दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत अपराध बनाया गया है"। सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों धारा 3 (2) (v) (जैसा कि यह 2016 के

अधिनियम 1 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले भौतिक समय पर था) के महत्वपूर्ण घटक पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। 52 एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी), इसके संशोधन से पहले, पढ़ती है: " (2) जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, (v) कोई अपराध करता है।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ इस आधार पर दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है कि ऐसा व्यक्ति पटना जमाल वाली बनाम है।

58. यह मुद्दा कि क्या अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर किया गया था कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में साक्षय के आधार पर स्थापित किया जाना है। हम सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल इसलिए विफल नहीं होगा क्योंकि पीडब्लू1 ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया था कि उसकी बेटी के खिलाफ अपराध इसलिए किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति की थी

महिला। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में यह दिखाने के लिए कोई अलग सबूत नहीं है कि आरोपी ने पीडब्लू 2 की जाति पहचान के आधार पर अपराध किया है। यद्यपि यह मान लेना उचित होगा कि अभियुक्त पी. डब्ल्यू. 2 की जाति जानता था क्योंकि गाँव के समुदाय पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और अभियुक्त पी. डब्ल्यू. 2 के परिवार का परिचित भी था, लेकिन धारा 3 (2) (वी) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, जो उस समय था जब वर्तमान मामले में अपराध किया गया था, अपने आप में ज्ञान को अपराध करने का आधार नहीं कहा जा सकता है। जैसे हम।

59. यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 3 (2) (v) को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम, 2015, जो 26 जनवरी 2016 को लागू हुआ। धारा 3 (2) (v) के तहत "के आधार पर" शब्दों को "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है" के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

या अनुसूचित जनजाति "। इसने यह साबित करने की सीमा को कम कर दिया है कि एक अपराध जाति की पहचान के आधार पर किया गया था, जहां केवल ज्ञान ही दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। धारा 8, जो अपराधों के बारे में अनुमानों से संबंधित है, में खंड (सी) को शामिल करने के लिए भी संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके परिवार से परिचित था, तो अदालत यह मान लेगी कि अभियुक्त को पता था।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य या ऐसी संपत्ति जो ऐसे सदस्य की है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा होगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015,26 जनवरी 2016 से धारा 3 (2) (v) में संशोधन किया गया और वर्तमान में कहा गया है: (2) जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, (v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत किसी व्यक्ति या संपत्ति (यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है) के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है, उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान। संशोधित धारा 8 इस प्रकार है:

" 8. अपराधों के बारे में अनुमान। - एक अपराध के लिए अभियोजन में

इस अध्याय के तहत, यदि यह साबित हो जाता है कि

(क) अभियुक्त द्वारा दी गई [अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता], या यथोचित रूप से

इस अध्याय के तहत अपराध करने के संदेह में, विशेष न्यायालय यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति

(ख) व्यक्तियों के एक समूह ने इस अध्याय के तहत अपराध किया है और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य मामले के संबंध में किसी मौजूदा विवाद की अगली कड़ी थी, तो यह माना जाएगा कि अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने या सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया था। [(ग) अभियुक्त को पीड़ित या उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी, न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या आदिवासी पहचान के बारे में पता था, जब तक कि इसके विपरीत

साबित हुआ।] "

60. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि बरी होने की उच्च दर प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों के आत्मविश्वास को प्रेरित और बढ़ावा देती है

निरंतर अपराध के लिए समुदाय "और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा के मामले दर्ज करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। हालाँकि, जैसा कि हमने नोट किया है, एससी और एसटी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दरारें पड़ने का एक तरीका साक्ष्य के बोझ के कारण है जो परस्पर उत्पीड़न के मामलों में पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जब अदालतें धारा 3 (2) (v) के तहत "केवल आधार पर" की आवश्यकता को "केवल आधार पर" के रूप में पढ़ती हैं। एस. सी. और एस. टी. अधिनियम के तहत वर्तमान व्यवस्था ने संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत कार्यकारण आवश्यकता को ज्ञान की आवश्यकता के साथ प्रतिस्थापित करके अधिनियम के तहत एक अंत:च्छेदन विश्लेषण के संचालन की सुविधा प्रदान की है, जिससे शासन को इस तरह के मामलों में उत्पन्न होने वाले सबूतों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है।

53 महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, 15 मार्च 2021,107, यहां उपलब्ध है: //राज्यसभा। ठीक है। इन/आरएसन्यू/कमेटी _ साइट/कमेटी _ फाइल/रिपोर्टफाइल/15/143/230 _ 2021 _ 3 _ 14।पीडीएफ।

61. हालाँकि, चूंकि धारा 3 (2) (v) में संशोधन किया गया था और धारा 8 का खंड (c) 26 जनवरी से 2016 के अधिनियम 1 द्वारा जोड़ा गया था।

2016 ये संशोधन वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। वर्तमान मामले में अपराध संशोधन से पहले 31 मार्च 2011 को हुआ है। इसलिए, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में साक्षय यह स्थापित नहीं करता है कि वर्तमान मामले में अपराध इस आधार पर किया गया था कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। परिणामस्वरूप धारा 3 (2) (v) के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार करना होगा।

सी. 5 आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत सजा

62. श्री हरिंदर मोहन सिंह, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि धारा के तहत दोषसिद्धि को रद्द करने की अगली कड़ी के रूप में

63. अब धारा 376 (1), जो 2013 के अधिनियम 13 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले भौतिक समय पर थी, को आपराधिक कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। (संशोधन) अधिनियम 1983 (1983 का अधिनियम 43) 25 दिसंबर 1983 से प्रभावी। संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित धारा 376 (1) निम्नानुसार है:

" 376. बलात्कार के लिए दंड: (1) जो कोई भी, उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन हो सकता है या ऐसी अवधि के लिए जो दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जब तक कि बलात्कार की गई महिला उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह साल से कम उम्र की न हो, उस मामले में उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माने या दोनों से:

बशर्ते कि न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए कारावास की सजा दे सकता है।

सात वर्ष से कम की अवधि के लिए।

" "

अनिवार्य रूप से, अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि धारा 376 (1) के तहत संसद ने इसके लिए प्रावधान किए थे:

((i) न्यूनतम सात वर्ष की सजा;

((ii) पर्याप्त और विशेष कारणों को दर्ज करने के लिए सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा

लय द्वारा; 3 एस. सी. आर.

((ग) दस वर्ष तक के कारावास की अवधि; और

((iv) आजीवन कारावास की अवधि।

उपरोक्त (iii) और (iv) के संदर्भ में, धारा 376 (1) में उपयोग किए गए शब्द "लेकिन जो जीवन के लिए या एक अवधि के लिए हो सकता है जो दस साल तक हो सकता है" थे।

64. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान में

मामला सत्र न्यायाधीश ने कारावास की अवधि लागू करने के लिए आगे बढ़े

आजीवन के लिए इस आधार पर कि धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध स्थापित किया गया था। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध स्थापित नहीं किया गया है, तो सत्र न्यायाधीश से यह विचार रखने में गलती करने का आग्रह किया गया था कि "अभियुक्त को कम सजा देने" के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि सत्र न्यायाधीश इस आधार पर आगे बढ़े कि आजीवन कारावास की सजा मानक थी और कम सजा देने का विवेकाधिकार था, जो है -

गलत है।

65. प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी दोषी था

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध और उससे स्वतंत्र, दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध भी। दो अलग-अलग अपराधों के संबंध में लगाई जाने वाली सजा पर विचार करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा कि:

((i) आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।

धारा 376 (1) के तहत अपराध; और

((ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देनी होगी।
66. जिन कारणों का हमने पहले संकेत दिया है, उनके लिए हमारे पास है

67. धारा 376 (1) के एक सादे पाठ पर, जैसा कि यह 1983 के अधिनियम 43 द्वारा 25 दिसंबर 1983 से प्रभावी होने के बाद था, यह स्पष्ट है कि आजीवन कारावास की सजा प्रावधान द्वारा

अनुध्यात सजाओं में से एक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 को पाटन जमाल वाली बनाम में बलात्कार के कानूनों में व्यापक संशोधन लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

देश, अपराधियों के लिए दोषसिद्धि से बचना मुश्किल बनाता है। अधिनियम का घोषित उद्देश्य और उद्देश्य था:

" संसद के अंदर और बाहर बलात्कार से संबंधित कानून में संशोधन की मांग की जा रही है ताकि अपराधियों के लिए दोषसिद्धि और गंभीर स्थिति से बचना अधिक कठिन हो जाए दोषियों पर दंड लगाया जाता है। [.....]

2. [.....] विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन तैयार किए गए हैं।

मुख्य रूप से निम्नलिखित विचारों के आधार पर:

[.....]

(3) बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित की जानी चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्य के अनुसार, धारा 376 (1) बशर्ते कि उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, बलात्कार करने वाले व्यक्ति को दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा।

एक कार्यकाल के लिए विवरण जो सात वर्ष से कम नहीं होगा।

हालांकि, परंतुक में यह निर्धारित किया गया था कि अदालत फैसले में उल्लिखित 'पर्याप्त और विशेष कारणों' के लिए सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकती है। दूसरे शब्दों में, सात साल की न्यूनतम सजा को केवल पर्याप्त और विशेष कारणों से कम अवधि के लिए कम किया जा सकता है। निर्णय में दर्ज किया जाए। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि पर्याप्त और विशेष कारण तथ्यों पर निर्भर करते हैं और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। ये विशेष और पर्याप्त कारण

नियम के लिए एक अपवाद हैं और संयम से उपयोग किया जाना चाहिए और

मध्य राज्य में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार सख्ती से व्याख्या की गई

प्रदेश बनाम. बाला 3 4. हालांकि धारा 376 (1) में यह भी निर्धारित किया गया है कि कारावास की अवधि आजीवन या दस की अवधि के लिए हो सकती है।

बरसों से।

68. इसके बाद, 2013 में, निर्भया मामले के बाद, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया गया था जिसमें संशोधन किया गया था

धारा 376 (1)। संसद ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़ा रुख अपनाने और न्यायपालिका के विवेक को सीमित करने की मांग की।

बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए सजा का अधिरोपण सजा में कमी के लिए बिना किसी अपवाद के न्यूनतम सात साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। 2018 में आपराधिक कानून संशोधन द्वारा धारा 376 में और संशोधन किया गया है।

54 (2005) 8 एससीसी 1.

अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 22) जिसके द्वारा न्यूनतम दंड को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है, जिसमें अधिकतम दंड शेष है -

एक ही।

69. धारा 376 में संशोधनों का विस्तृत विवरण देते हुए

संसद, हम इस बात से अवगत हैं कि हमें कानून को लागू करना चाहिए जैसा कि अपराध की घटना के समय था। जिस सजा की सीमा के भीतर हमें अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए, वह है न्यूनतम 7 साल (या पर्याप्त और विशेष कारणों के अस्तित्व पर कम), या 10 साल या आजीवन कारावास की सजा। तय करने में

उचित सजा, इस न्यायालय ने लगातार यह निर्धारित किया है कि हमें सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होना चाहिए

सहित

((i) अपराध की प्रकृति और गंभीरता;

((ii) यौन संबंध बनाने से जुड़ी परिस्थितियाँ।

हमला;

((iii) उस व्यक्ति की स्थिति जिस पर यौन हमला किया गया है।

प्रतिबद्ध;

((iv) उल्लंघन किए गए व्यक्ति के संबंध में अभियुक्त की भूमिका; और (v) अपराधी के पुनर्वास की संभावना।

उपरोक्त कारक निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं

रवजी v में दी गई सजा की मात्रा। राजस्थान राज्य 55, कर्नाटक राज्य बनाम। कृष्णप्पा ", और पंजाब राज्य बनाम। प्रेम सागर 57 अन्य के बीच।

70. इन कारकों के अलावा, हमें भी जीवित रहना चाहिए

पीडब्लू2 की अंतःच्छेदन पहचान और अंतर्निहित सामाजिक कारक जिनके भीतर अपराध किया गया था। पीडब्लू2 एक महिला है जो जन्म से ही अंधी है और अनुसूचित जाति की सदस्य है। इन परस्पर विरोधी पहचानों ने उन्हें एक विशिष्ट रूप से नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया। छत्तीसगढ़

55 (1996) 2 एससीसी 175। 56 (2000) 4 एससीसी 75।

57 (2008) 7 एससीसी 550। 58 2014 सीआरआई एलजे 1409। शारीरिक अक्षमता को अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी सजा सुनाने में एक उत्तेजक कारक माना गया है। देखें, उदाहरण के लिए, रवींद्रयान दास बनाम। राज्य, 1992 सी. आर. आई एल. जे. 269, उड़ीसा उच्च न्यायालय।

पाटन जमाल वाली बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

कई मौकों पर एक अंधी महिला, शादी का वादा करने पर। उच्च न्यायालय अभियुक्त द्वारा महिला की अक्षमता के दुरुपयोग के बारे में पूरी तरह से अवगत था और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

बाद में इस न्यायालय 5 9 द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया। इस न्यायालय ने अभियोजक को दिए जाने वाले मुआवजे और उसके कारण उसे होने वाले शारीरिक नुकसान के सवाल पर भी विचार किया। उसकी अक्षमता। ऐसा करते हुए, न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

शारीरिक रूप से वंचित, वह पहले से ही एक सामाजिक स्थिति में थी वंचित स्थिति जिसका दुर्भावनापूर्ण तरीके से शोषण किया गया था

धोखाधड़ी करने के अपने बुरे इरादों के लिए आरोपी

उसे और वादा की गई शादी की आड़ में उसका बलात्कार करता है जो पीड़ित को दोगुनी वंचित स्थिति में डाल दिया है और

कई वर्षों के इंतजार के बाद यह बिगड़ गया है। पीड़ित के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क करना और राहत और पुनर्वास के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। तदनुसार, पीड़ित, जिसने अपराध के दिन से अब तक बहुत कुछ झेला है, उसे एक विशेष पुनर्वास योजना की आवश्यकता है। (जोर दिया गया)

71. इसी तरह, हम अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं (और आम तौर पर व्यक्तियों) को होने वाले नुकसान से भी अवगत हैं और

अनुसूचित जनजातियाँ। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी व्यक्ति की कई अलग-अलग पहचानों को चित्रित करना मुश्किल और कृत्रिम है, जो उन्हें सत्ता की वंचित स्थिति में रखने और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए परिस्थितियां पैदा करने के लिए ओवरलैप करते हैं। इस बिंदु पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि तीन-न्यायाधीश पीठों और दो-न्यायाधीश पीठों 6-1 द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में कहा गया है कि "अभियुक्त या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ सजा देने की नीति में अप्रासंगिक विचार हैं"। हालाँकि, उस संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें

यह खोज की गई थी। इन सभी मामलों में, न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई सजा को कम करने की याचिका पर विचार कर रहा था या 59 (2016) 4 एससीसी 461। 60 कर्नाटक राज्य बनाम। कृष्णप्पा (2000) 4 एस. सी. सी. 75; मध्य प्रदेश राज्य बनाम बसोदी (2009) 12 एस. सी. सी. 318।

61 कर्नाटक राज्य बनाम। राजू (2007) 11 एस. सी. सी. 490; राजस्थान राज्य बनाम विनोद कुमार (2012) 6 एस. सी. सी. 770; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। संतोष कुमार (2006) 6 एससीसी 1.

अभियुक्त के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण पर्याप्त और विशेष कारणों के अस्तित्व के आधार पर निचली अदालतें /

जनजाति; ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित; या अनपढ़ होना। इसी आधार पर न्यायालय ने बलात्कार के अपराध की जघन्य प्रकृति और आपराधिक कृत्य की गंभीरता को देखते हुए इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया। हमारी राय में, ये निर्णय हमें विभिन्न पारस्परिक पहचानों का एक समग्र दृष्टिकोण लेने से नहीं रोकते हैं जो अधिनियम के तथ्यों और परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपराध की प्रकृति से बात करते हैं।

72. वर्तमान मामले में, सजा से संबंधित कई परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, पी. डब्ल्यू. 2, जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ था, जन्म से ही अंधा था। दूसरा, अपीलार्थी पी. डब्ल्यू. 2 के भाइयों को पता था, जिसमें पी. डब्ल्यू. 3 भी शामिल था। अपीलार्थी उस घर में जाती थी जहाँ पी. डब्ल्यू. 2 अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहती थी। को छोड़ दिया नेत्र-दृष्टि, पीडब्लू2 अपीलार्थी को उसकी आवाज से पहचानने में सक्षम था जिससे वह परिचित थी। तीसरा, पीडब्लू2 के घर में प्रवेश करने से कुछ समय पहले, अपीलार्थी ने पीडब्लू1 से पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं, जब उसे बताया गया कि वे घर पर नहीं हैं। पीडब्लू1 एक सार्वजनिक जल नल पर अपने कामों के साथ आगे बढ़ी। सदस्यों की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए

परिवार के घर से, अपीलार्थी ने घर में प्रवेश किया और पीडब्लू2 का यौन उत्पीड़न किया। पीडब्लू1 ने बयान दिया है कि जब उसने पीडब्लू3, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साथ घर में प्रवेश किया तो उसने पाया कि पीडब्लू2 नग्न अवस्था में उसके जननांगों पर लगी चोटों से जमीन पर खून बह रहा था। जिस प्रकृति और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि अपीलार्थी ने जन्म से अंधे पीडब्लू 2 के पद का लाभ उठाया था। उसने घर में प्रवेश किया, क्योंकि वह परिवार के सदस्यों के साथ था, उनकी अनुपस्थिति में और पीडब्लू 2 के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीडब्लू2 एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपराध, जैसा कि हमने देखा है, इस आधार पर किया गया था कि उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अर्थ के भीतर एक अनुसूचित जाति से संबंधित है। यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन यह तथ्य कि पीडब्लू 2 एक अनुसूचित जाति से संबंधित था, एक ऐसा कारक नहीं है जो धारा 376 के तहत एक अपराध के लिए सजा की प्रक्रिया के लिए बाहरी है। यह उस संदर्भ में है कि हम

सत्र न्यायाधीश की टिप्पणियों को जमीनी वास्तविकताओं की एक मजबूत सामान्य ज्ञान धारणा के साथ पढ़ना चाहिए। अपीलार्थी 27 वर्ष का था, एक परिपक्व व्यक्ति जो कुछ वर्षों से पीडब्लू2 के भाइयों के साथ कुली के रूप में काम कर रहा था। वर्तमान मामले में अपराध की प्रकृति और गंभीरता अपने आप में गंभीर है और यह पीडब्लू 2 की स्थिति से जटिल है जो एक दृष्टिबाधित महिला थी। एक जघन्य अपराध है जमाल वली बनाम।

आंध्र प्रदेश राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अनुसूचित जाति की एक महिला पर अंकित किया गया। आजीवन कारावास की सजा को दोष नहीं दिया जा सकता है।

निष्कर्ष और निष्कर्षों का सारांश

. उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 376 (1) के तहत दंड

न्यायाधीश की पुष्टि की जानी चाहिए। परिस्थितियों में हम के रूप में आदेश

एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अपराध के संबंध में लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है -

उस सीमा तक; और

दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार है। सत्रों द्वारा लगाया गया 1,000/- रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए न्यायाधीश भी खड़े होंगे।

पुष्टि की।

. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील का निपटारा

किया गया।